राजभाषा भारती

जनवरी-मार्च, 1979

अंक 4

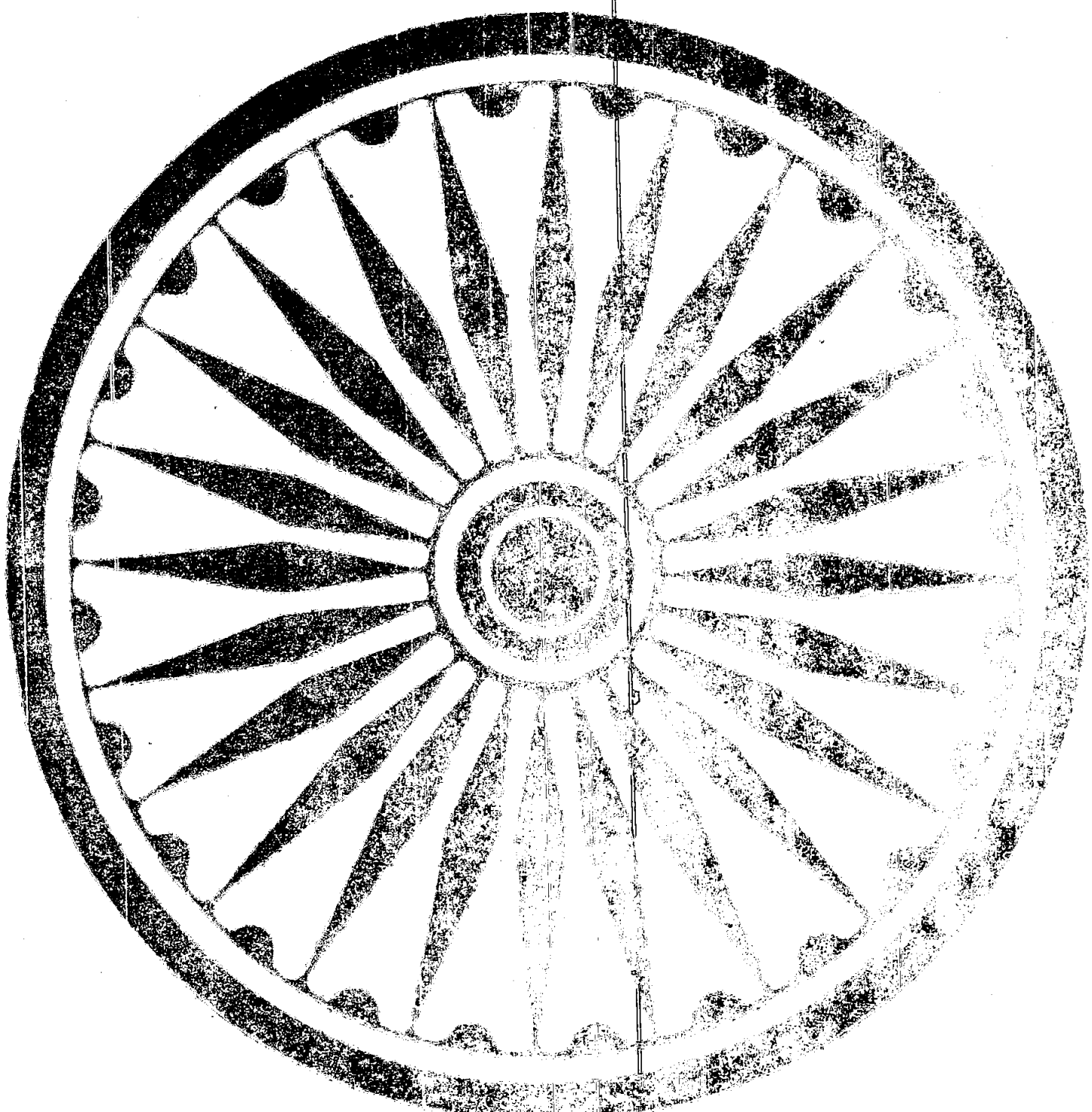

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष-2 अंक-4 जनवरी–मार्च 1979

संपादक

राजमणि तिवारी

उप-संपादक

हरिहर प्रसाद द्विवेदी

पत्र व्यवहार का पता :

संपादक, 'राजभाषा भारती',
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली-110001

फोन नं० 617657

(निःशुल्क वितरण के लिए)

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
अपनी बात		2
रक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	—श्री जगजीवन राम, उप-प्रधान मंत्री (रक्षा)	5
विधि के क्षेत्र में हिन्दी	—श्री शांति भूषण, विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री	7
राजभाषा हिन्दी की सांविधानिक स्थिति और नीतिगत प्रमुख निर्णय	—श्री विष्णु स्वरूप सक्सेना	9
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएं	—डा० इलयावुलूरि पांडुरंग राव	14
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग और हिन्दी	—श्री प्रकाश नारायण मालवीय	19
विश्व हिन्दी पुरस्कार (1979) —एक परिचय	—संकलित	23
राजभाषा के प्रांगण में इंजीनियरी के लंबे कदम	—श्री विश्वंभर प्रसाद गुप्त	25
पर्यटन विभाग में हिन्दी का प्रयोग	—श्री राजकुमार सैनी	27
राजभाषा विभाग की 1978 की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां	—संकलित	31
हिन्दी में विधि साहित्य का प्रकाशन	—विधि मंत्रालय	32
गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का विवरण	—संकलित	34
हिन्दी कहां और कितनी ?	—संकलित	36
अधिसूचित कार्यालय		39
पाठक प्रतिक्रिया		40
समाचार		42

अपनी बात

राजभाषा विभाग की ओर से 'राजभाषा भारती' के प्रकाशन की योजना का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया गया है। इसके बारे में हमें अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं। 1978 में इसके तीन अंक प्रकाशित हुए हैं। इन अंकों में जो सामग्री प्रकाशित की गई है उसे देखते हुए मंत्रालयों, विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के अतिरिक्त देश के सभी क्षेत्रों में स्थित सरकारी उद्यमों, निगमों, स्वेच्छासेवी हिन्दी संस्थाओं, पुस्तकालयों तथा हिन्दी प्रेमी व्यक्तियों से इस पत्रिका की बराबर मांग आ रही है। यद्यपि हम सभी की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं फिर भी कोशिश की जा रही है कि जहां तक संभव हो, संबंधित लोगों को इसकी प्रति सुलभ कराई जाए।

इस पत्रिका के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों आदि से सामग्री मंगाई जाती है। कुछ सामग्री स्वेच्छा सेवी संस्थाओं आदि से भी प्राप्त होती हैं किन्तु कभी-कभी हमें जो सामग्री प्राप्त होती है वह संतोष-जनक नहीं होती और उसके साथ चित्र, चार्ट आदि भी प्राप्त नहीं होते। इसलिए चाहते हुए भी हम ऐसी सामग्री को इस पत्रिका में स्थान नहीं दे पाते। अतः अनुरोध है कि इस पत्रिका में प्रकाशन के लिए सामग्री भेजते समय यह देख लिया जाए कि भेजी जा रही सामग्री सुरुचिपूर्ण तथा तथ्यपूर्ण होने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार चार्टों, चित्रों तथा आंकड़ों आदि से सुसज्जित हो।

चूंकि यह पत्रिका राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों आदि की व्यापक जानकारी देने के लिए प्रकाशित की जाती है इसलिए हम इसमें ऐसी कोई सामग्री नहीं देना चाहते जो इसके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत न आती हो साथ ही हम इस बात का बराबर ध्यान रखते हैं कि ऐसे मामले न उठाये जाएं जिससे विवाद उत्पन्न हो।

1979 का यह जनवरी-मार्च अंक आपको सौंपते हुए हम एक बार फिर आपके सहयोग की कामना करते हैं और अपने पाठकों के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं भेजते हैं।

—सम्पादक

गृह मंत्री, भारत
नई दिल्ली-110001
दिनांक 26 फरवरी, 1979

सन्देश

संविधान द्वारा देवनागरी लिपि में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है । यद्यपि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की अनुमति दी गई है, तथापि संविधान के उपबन्धों में निहित भावना के अनुरूप और राजभाषा अधिनियम, 1963 में की गई व्यवस्था के अनुसरण में संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाना होगा । इसलिए सरकारी कार्यालयों आदि में हिन्दी के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए अपेक्षित आधारभूत व्यवस्था उपलब्ध करना ही आवश्यक नहीं है, अपितु इस बात का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा कि इस प्रयोजन के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, उसकी जानकारी सभी को कराई जाए ।

राजभाषा विभाग इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए "राजभाषा भारती" नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है । पत्रिका के तीन अंक निकल चुके हैं और यह चौथा अंक है । राजभाषा पत्रिका के पिछले तीन अंकों का अवलोकन करने पर मैंने यह देखा है कि उक्त विभाग राजभाषा हिन्दी की उन्नति में लगे हुए बहुत से लोगों से उपयोगी सामग्री प्राप्त करने में समर्थ रहा है । ऐसी पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और मुझे विश्वास है कि यह अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगी ।

मैं "राजभाषा भारती" की सफलता की कामना करता हूं ।

—एच० एम० पटेल

विश्व हिन्दी पुरस्कार समारोह के अवसर का चित्र

बाएं से — (1) प्रो० ना० नागप्पा (2) आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी (3) गंगाशरण सिंह (4) प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई (5) विदेश मंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी तथा (6) श्री सोमदत्त बखौरी।

(समारोह का विवरण पृष्ठ, 23-24 पर देखें।)

रक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

जगजीवन राम
उप प्रधान मंत्री एवं रक्षा मंत्री, भारत सरकार

देश के विभिन्न क्षेत्रीय तथा भिन्न-2 भाषा-भाषी लोग किस प्रकार मिल जुलकर अपने आपको एक दूसरे के साथ समन्वित कर लेते हैं, इसे सेनाओं में देखा जा सकता है। सेना में शामिल होने पर प्रत्येक सैनिक किसी क्षेत्र या वर्ग विशेष का न रहकर देश का प्रतिनिधि हो जाता है। उसके पारस्परिक सम्पर्क की भाषा भी एक होती है और वह है हिन्दी। वस्तुतः स्वतंत्रता से पूर्व भी सैनिकों के बोल-चाल एवं विचार-विनिमय की भाषा हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी थी। प्रत्येक सैनिक को हिन्दुस्तानी का ज्ञान प्राप्त होता था। इस प्रकार हिन्दी के प्रयोग में सेनाएं सभी केन्द्रीय विभागों से आगे रही हैं और निरन्तर आगे बढ़ती जा रही हैं।

स्वतन्त्रता के बाद, संविधान के निर्माताओं के इस निर्णय को लागू करने के लिए कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी रक्षा संगठन में अनेक पग उठाए गए। रक्षा सेवाओं में प्रयोग में आने वाले वैज्ञानिक, तकनीकी तथा अन्य विशिष्ट शब्दों के हिन्दी पर्याय बनाने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले तीनों सेनाओं की कमान शब्दावली 1957 में तैयार कर उसे अंग्रेजी के स्थान पर उपयोग में लाया गया। इसे अब सेनाओं द्वारा पूर्णतः अपना लिया गया है। इसी प्रकार, दूसरे क्षेत्रों में भी शब्दावली तैयार कर उसे व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है। लगभग 40,000 शब्दों की रक्षा शब्दावली इस समय छप रही है और शीघ्र ही उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा, राष्ट्रपति, के 1960 के आदेश के अनुसार हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में सहायता करने के लिए जो उपाय अपनाए जाने थे उनका भी रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के कार्यालयों तथा तीनों सेनाओं में पालन किया गया।

राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 में की गई व्यवस्था के अनुसार इस मंत्रालय के सभी संकल्प, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्ट और सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी सरकारी कागज़ात और रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होती हैं। रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठकों के सम्बन्ध में उसके सदस्यों को दिए जाने वाले कागजात तथा मंत्रिमंडल को भेजे जाने वाले सभी प्रस्ताव हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं। सेनाओं के सभी सर्विस इंस्ट्रक्शन द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं और सर्विस आर्डर, संविदा, करारनामें, परमिट टेंडरों के फार्म आदि भी द्विभाषी रूप में जारी होने लगे हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित सभी राष्ट्रीय समारोहों के अवसर पर निमंत्रण-पत्र, पोस्टर तथा अन्य प्रचार सामग्री द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। राष्ट्रपति भवन में रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित अलंकरण समारोह में प्रशस्ति-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र सेनाओं के अफसरों को कमीशन प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में सभी नियुक्ति पत्र द्विभाषी रूप में होते हैं।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वियन समिति का गठन किया गया है। तीनों सेना मुख्यालयों तथा रक्षा उत्पादन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वियन समितियां काम कर रही हैं। सेनाओं के कई अधीनस्थ कार्यालयों में अभी तक सम्पर्क अधिकारी (हिन्दी) काम कर रहे थे, लेकिन अब सभी में धीरे-धीरे राजभाषा कार्यान्वियन समितियां गठित की जा रही हैं। आशा है इससे सभी कार्यालयों में हिन्दी

का प्रयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है। इसमें संसद सदस्यों, गैर सरकारी सदस्यों के अलावा रक्षा मंत्रालय तथा विभिन्न सेना कार्यालयों के उच्च अधिकारी हैं। इससे रक्षा संगठन के राजकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में समुचित नीति अपनाने में काफी सहायता मिलेगी।

हिन्दी का प्रगोग बढ़ाने के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सेना में शिक्षा का माध्यम मुख्यतः हिन्दी है। इसको न केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, बल्कि यह सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण माध्यम के रूप में भी उपयोग की जाती है। अभी तक सैनिक अधिकारियों को हिन्दी में एक प्रारम्भिक परीक्षा पास करनी होती थी। लेकिन अब तीनों सेनाओं के सभी अधिकारियों, लिपिकीय संवर्ग के सभी सैनिकों, पर्यवेक्षक के रूप में काम करने वाले गैरलिपिकीय सैनिकों और ऐजुकेशनल इंस्ट्रक्टरों के लिए प्राज्ञ स्तर तक का हिन्दी ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस समय सभी अधिकारियों को कमीशन प्राप्त करने के दो तीन वर्ष के भीतर प्राज्ञ स्तर की हिन्दी परीक्षा पास करनी होती है।

हिन्दी टाइप सिखाने की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। तीनों सेनाओं की क्लर्कस ट्रेनिंग स्कूलों में कम्बाटेंट क्लर्कों को हिन्दी के टाइप का प्रशिक्षण देना आरम्भ कर दिया गया है। परन्तु यदि इन ट्रेनिंग सेंटरों में ही सभी को प्रशिक्षण दिया जाए तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इन स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त कम्बाटेंट क्लर्कों से कमान एरिया, सब-एरिया, यूनिट स्तरों पर भी हिन्दी टाइप का प्रशिक्षण देना आरम्भ किया जाए। इसका परिणाम यह होगा कि थोड़े से समय में ही काफी लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। जहां तक स्टेनोग्राफरों का संबंध है, सेनाओं में कम्बाटेंट स्टेनोग्राफरों के कोई पद नहीं हैं। सैनिक अधिकारियों के साथ अधिकांशतः सिविलियन स्टेनोग्राफर ही होते हैं जिन्हें हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी कार्यालयों से यह कह दिया गया है कि वे अपने यहां के क्लर्कों और स्टेनोग्राफरों को क्रमशः हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि में यथाशीघ्र प्रशिक्षित करें। जिन स्टेसनों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था न हो वहां हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी शार्टहैंड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को मानदेय देकर प्रशिक्षण की स्थानीय व्यवस्था करें।

इन प्रशिक्षित व्यक्तियों से हिन्दी टाइप तथा शार्टहैंड का काम लेने के लिए नागरी टाइपराइटरों की पर्याप्त व्यवस्था भी आवश्यक है। इस समय सम्पूर्ण रक्षा संगठन में लगभग 3000 हिन्दी टाइपराइटर हैं और इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि प्रत्येक यूनिट में कम से कम एक नागरी टाइपराइटर अवश्य हो।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को कार्यान्वित करने के लिए रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों और कुछ अंतर सेवा संगठनों में अनुवादकों की व्यवस्था की गई है। परन्तु अभी अनेक ऐसे कार्यालय हैं जहां अनुवादकों की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। अतः इन कार्यालयों के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि जब तक उन्हें अनुवादक नहीं मिलते तब तक वे अनुवाद मानदेय के आधार पर करा सकते हैं।

कार्य विधि साहित्य के हिन्दी अनुवाद का जहां तक सम्बन्ध है लगभग सभी मानक फार्मों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है। रक्षा संगठन में प्रयुक्त होने वाले लगभग 376 मैनुअलों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है। परन्तु अभी काफी मैनुअलों का संशोधन किया जा रहा है, जिन्हें संशोधन के बाद ही हिन्दी में अनूदित किया जा सकेगा। अतः हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी मैनुअलों का अनुवाद रक्षा संगठन में सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञों से मानदेय के आधार पर कराया जाए। तीनों सेना मुख्यालयों ने इस दिशा में काम करना आरम्भ कर दिया है।

रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेना मुख्यालयों में हिन्दी में काम हो इसके लिए समुचित प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। उच्च स्तर पर अधिकारियों की बैठकें बुलाकर हिन्दी के प्रयोग में आने वाली काठिनाइयों के निराकरण के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। हिन्दी नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग में अभ्यास कराने के लिए कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं। रक्षा संगठन में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से यह अपील की गई है कि वे सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करें और उसे धीरे-धीरे बढ़ायें। रक्षा संगठन में काम करने वाले सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान बढ़ायें इसके लिए पर्याप्त मात्रा में हिन्दी की पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि की व्यवस्था की गई है। कुछ समय से रक्षा मंत्रालय के अधिकारी रक्षा संगठन के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कार्यालयों/यूनिटों का निरीक्षण करने लगे हैं। इस प्रकार के निरीक्षण व्यावहारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे, क्योंकि रक्षा संगठन की विशेष कार्यविधि की पूरी जानकारी होने के कारण वे निरीक्षण के साथ समस्याओं का व्यावहारिक समाधान भी निकाल सकते हैं। रक्षा संगठन के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। सरकार की नीति यह है कि हिन्दी के उपयोग से हिन्दी न जानने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी के सहयोग से यह काम आगे बढ़ाया जाए। सम्पूर्ण रक्षा संगठन इस दिशा में प्रयत्नशील है।

विधि के क्षेत्र में हिन्दी

शांति भूषण
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हिन्दी का प्रयोग प्रशासन के क्षेत्र में धीरे-धीरे बढ़ा है। गांधी जी यह कहा करते थे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा शास्त्रियों का भी यही कहना है कि मातृभाषा के माध्यम से बड़ी सरलता से शिक्षा दी जा सकती है। विभिन्न राज्यों ने इसीलिए इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। हिन्दी अब विभिन्न राज्यों में कला और वाणिज्य के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा का माध्यम है। विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक विश्व-विद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विधि के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर भाषा में एकरूपता रहे यह विचार करते हुए राजभाषा आयोग ने यह सिफारिश की थी कि ऐसी अखिल भारतीय शब्दावली का विकास किया जाए जिसके शब्द अधिकांश भाषाओं में स्वीकार किए जा सकें। आयोग की इस सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार किया और 1960 में राष्ट्रपति ने जो आदेश निकाला था उसमें इस बात का साफ-साफ शब्दों में उल्लेख भी किया गया था। इस शब्दावली का विकास हो चुका है। विकास करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि स्वीकृत शब्द इस प्रकार के हों जो भारत की अधिकांश भाषाओं में अपनाए जा सकें। पहले तो प्रयत्न यही होता है कि साधारण बोल-चाल के शब्दों को स्वीकार कर लिया जाए। किन्तु यदि बोल-चाल के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अखिल भारतीय स्तर पर चलन संभव न हो सके तो उन्हें छोड़कर दूसरे शब्द अपनाने पड़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में निदेश है कि शब्द मुख्यतः संस्कृत से लिए जाएं। इसके पीछे कारण यह है कि संस्कृत की शब्दावली अधिकांश भाषाओं में घुलमिल गई है और जब संस्कृत से शब्द लिए जाते हैं तो स्वभावतः वे दूसरी भाषाओं के लिए भी अपरिचित नहीं होते तथा दूसरी भाषाओं में भी शीघ्र ही पच भी जाते हैं। संविधान में एक दूसरा निदेश यह भी है कि कुछ शब्द अन्य भारतीय भाषाओं से भी लिए जाएं। इन बातों के साथ ही साथ विधि में यह भी ध्यान में रखना होता है कि विधि की बारीकियों को सही-सही और ठीक-ठीक अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का माध्यम सशक्त होना चाहिए। विधि में evidence और Proof में अन्तर होता है। इसी प्रकार abduction और kidnapping में भी हमारी दण्ड संहिता में अन्तर किया गया है। Law, Act, Ordinance, Rule, Regulation, Bye-Law ये शब्द एक-दूसरे से भिन्न हैं और हमें इन सब के लिए अलग-अलग शब्द रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही शब्द स्वीकार करते समय यह भी देखना होता है कि वह शब्द ऐसा हो जिससे अन्य शब्दों की रचना की जा सके। जैसे अंग्रेजी में law से legal, ligalise, illegal, illicit, legilmate, illegimate lawful, unlawful, आदि अनेक शब्द बनते हैं। हमने भी हिन्दी में इसलिए 'विधि' शब्द को रखा है जिससे इसी प्रकार अन्य शब्दों की उत्पत्ति हो सकती है।

अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों से विधि की हिन्दी में परहेज़ नहीं किया गया है। अनेक शब्द जो सम्पूर्ण भारत में न्यायालयों में प्रयोग किए जाते हैं, हिन्दी में अपना लिए गए हैं, जैसे 'मजिस्ट्रेट', 'समन', 'वारण्ट', 'पेंशन', 'फीस', 'न्यूसेंस', 'डिक्री', 'शेयर', 'प्रोबेट', 'अपील', 'पालिसी', 'रेल', 'टेरिफ', 'रजिस्ट्रार', 'बैंक', चैक', आदि।

फारसी और अरबी मूल के भी बहुत से शब्द रखे गए हैं, जैसे 'अर्जी', 'वसीयत', 'असल', 'आमदनी', 'इनकार', 'हाजिरी', 'जमानत', 'तामील', 'इजाज़त', 'कसूर', 'कार्रवाई आदि।

यह शब्दावली अब स्थिर हो चुकी है। हिन्दी-भाषी राज्यों ने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और अन्य राज्यों में उनकी भाषा के स्वभाव को देखते हुए इसे बहुत अधिक मात्रा में अपनाया गया है।

शब्दावली का विकास होने के साथ-साथ राजभाषा अधिनियम की धारा 5 के अधीन केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ के प्रकाशन का काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है । अब कुल मिलाकर लगभग 50 अधिनियम ही ऐसे हैं जिनका अनुवाद नहीं हुआ है । यह प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी अधिनियमों का अनुवाद शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो जाए । जिन अधिनियमों का प्रयोग अधिक होता है उनके लिए हिन्दी-अंग्रेजी के द्विभाषीय संस्करण निकाले जाते हैं । इस प्रकार के संस्करणों के उपयोग में सभी को सुविधा रहती है, विशेषकर विधि व्यवसायी वर्ग में ।

किन्तु एक बात इधर मेरे ध्यान में आई है जिसकी ओर मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जब हिन्दी में राष्ट्रपति के प्राधिकार से किसी केन्द्रीय अधिनियम का अनुवाद प्रकाशित हो जाता है तो वह प्रकाशित होते ही हिन्दी में प्राधिकृत पाठ बन जाता है । ऐसी ही प्रक्रिया राज्यों के विधान मण्डलों में अनुच्छेद 348 के अधीन होती है । जिन राज्यों की भाषा अंग्रेजी नहीं है अर्थात् हिन्दी या कोई अन्य भाषा है वे जब कोई अधिनियम अपने राज्य की भाषा में बनाते हैं तब राज्यपाल के प्राधिकार से अंग्रेजी में उसका अनुवाद प्रकाशित किए जाने पर वह अनुवाद उसका प्राधिकृत पाठ बन जाता है। न्यायालय अपने निर्णय हिन्दी या अंग्रेजी या किसी भी अन्य भाषा में जो प्राधिकृत पाठ है उसी के आधार पर दे सकते हैं । कभी-कभी हिन्दी के बारे में लोगों को भ्रम होता है । यदि प्राधिकृत पाठ उपलब्ध है तो उसका अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए ।हिन्दी के प्राधिकृत पाठ को खोजकर उसका उपयोग किया जाना चाहिए। जब एक बार प्राधिकृत पाठ हिन्दी में प्रकाशित हो जाता है तब अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं रहती । यही नहीं, अनुवाद करना मेरे विचार से गलत है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो अनेक न्यायालय और अनेक वकील अपना-अपना अनुवाद करते रहेंगे जिससे भ्रम होगा और गल्तियां होने की सम्भावना बहुत बढ़ जाएगी । जब हिन्दी का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध है तो केवल उसी पाठ का उपयोग होना चाहिए, उसी भाषा का, और उसी शब्दावली का । Indian Code Penal का हिन्दी में नाम 'भारतीय दण्ड संहिता' है तो इसी नाम का प्रयोग किया जाना चाहिए । Theft को उसमें 'चोरी' कहा गया है तो उस अपराध का उल्लेख करने के लिए 'चोरी' शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए । Magistrate को यदि हिन्दी के प्राधिकृत पाठ में 'मजिस्ट्रट' कहा गया है तो उसके स्थान पर 'दण्डनायक' या 'दण्डाधिकारी' शब्दों का प्रयोग सर्वथा गलत है ।

सिविल प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुछ प्ररूप (फार्म) दिए हैं । जैसे समन या वारण्ट का फार्म, प्रतिवादी के उपस्थित न होने पर उसे हाजिर करने के लिए समाचारपत्र में विज्ञापन निकालने का फार्म । ये सब और इसी प्रकार के अन्य प्ररूप सरल और सुबोध भाषा में उपलब्ध हैं । फिर भी हमारे कुछ न्यायपालिका के बन्धु इस ओर ध्यान न देकर 50 वर्ष पूर्व की फारसी बहुल भाषा का प्रयोग करते हुए समाचारपत्रों में विज्ञापन निकलवाते हैं। यह विज्ञापन किसी की समझ में नहीं आता और साथ ही विधि की दृष्टि से उचित है इस बारे में भी सन्देह है । मेरे विचार में न्यायालयों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि वे उन फार्मों का उपयोग करें जो अधिनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ में दिए गए हैं ।

न्यायालय ही नहीं सभी विधि व्यवसाइयों का और भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी विभागों का भी यह कर्त्तव्य है कि वे एक ही शब्दावली का प्रयोग करें । मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि भाषा का विकास नहीं होना चाहिए और भाषा बंधी हुई हो । मेरा उद्देश्य यह है कि हम वाक्य रचना लिखने वाले के, पढ़ने वाले के और विषय-वस्तु के अनुरूप रखें, किन्तु विधि के क्षेत्र में जहां तक शब्दावली का प्रश्न है वहां यदि मनमानी करने की छूट दे दी गई तो लोग यह कहेंगे कि हिन्दी भाषा में अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द के लिए कौनसा शब्द उपयुक्त है यह कोई नहीं जानता।

प्रत्येक भाषा में समय-समय पर कुछ मानक निर्धारित करने होते हैं । जब चॉसर के समय की अंग्रेजी हम देखें तो पाएंगे कि उसमें दी गई वर्तनी (Spelling) भिन्न प्रकार की है । बाद में धीरे-धीरे आगे चलकर शेक्सपियर के जमाने में अंग्रेजी की वर्तनी कुछ और स्थिर हुई और बर्नाड शा के जमाने तक अंग्रेजी की वर्तनी बिलकुल स्थिर हो गई थी । कोई व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि वर्तनी के स्थिर कर दिए जाने से भाषा का विकास रूक गया है, बल्कि इससे भाषा का स्तर ऊपर उठता है । इसी प्रकार जब हम Act के लिए सभी स्थानों पर 'अधिनियम' का प्रयोग करते हैं तो इससे स्तरीयता में कमी नहीं आती बल्कि उसमें वृद्धि होती है ।

हिन्दी के इस मानकीकरण में और हिन्दी को परिनिष्ठित बनाने में या हिन्दी का स्वरूप निश्चित करने में जनसंचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीसवीं शताब्दी जनसंचार माध्यम का युग है । समाचारपत्र और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से भाषा के मानक स्वरूप का बोध सभी लोगों को सरलता से कराया जा सकता है। हिन्दी के विकास को पूरा करने में इस काम की बड़ी शक्तिशाली भूमिका है, किन्तु मुझे कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि हमारे ये माध्यम इस पहलू की ओर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, समाचारपत्रों में जब मैं कभी महत्वपूर्ण वादों के निर्णय पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि उनकी भाषा कहीं-कहीं अर्थहीन और हास्यास्पद-सी हो जाती है । एक छोटा सा उदाहरण दूं—जब कोई न्यायालय कोई निर्णय तुरन्त न देकर यह घोषणा करता है कि निर्णय बाद में सुनाया जाएगा तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं—' Judgement has been reserved । समाचार और आकाशवाणी में भी इसका अनुवाद यह कर दिया जाता है कि—'निर्णय सुरक्षित रखा

शेष पृष्ट 22 पर

राजभाषा हिन्दी की सांविधानिक स्थिति और नीतिगत प्रमुख निर्णय

विष्णु स्वरूप सक्सेना
उप सचिव, भारत सरकार

15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन उस समय उसका कोई अपना संविधान नहीं था। देश की प्रशासनिक आवश्यकताओं और जनता की इच्छा-आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, संविधान सभा ने देश का विस्तृत और सार्वभौम संविधान तैयार किया। यह संविधान 26 जनवरी, 1950 से लागू किया गया। तब से भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातंत्रात्मक गणराज्य है। प्रजातंत्र में आम जनता का हित ही सर्वोपरि होता है क्योंकि राष्ट्र की सांविधानिक शक्ति जनता में अंतर्निहित होती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस के हितों के लिए सरकार बनाते हैं। इसलिए अन्य बातों के साथ-साथ यह जरूरी हो जाता है कि देश का राजकाज जनता की भाषा में हो। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी सूझ-बूझ के साथ संविधान में ऐसी व्यवस्था की जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य अपना सरकारी कामकाज अपनी भाषा में करने का निर्णय कर सके और संघ सरकार का कामकाज, प्रगामी रूप में हिन्दी में किया जाए। यह भी कहा गया कि हिन्दी को इस तरह विकसित किया जाए जिससे वह सभी भाषाओं की शब्दावली और पदावली को अपने में समाहित करते हुए भारत की सामासिक संस्कृति का वाहक बन सके। इसके संदर्भ में की गई व्यवस्थाओं और उस में लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णयों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

1—राजभाषा से संबंधित सांविधानिक व्यवस्था :

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा है। लेकिन 343(2) के अनुसार, संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात् सन् 1965 तक, संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति सामान्यतया अंग्रेजी का प्रयोग चलते रहने की व्यवस्था की गई थी, यद्यपि इस अवधि में भी, राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, किसी काम के लिए हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे सकते थे। अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकती है (ऐसी व्यवस्था कर दी गई है)।

2—संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा :

संविधान के अनुच्छेद 120(1) के अधीन, संसद की कार्रवाई हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होगी। लेकिन, राज्यसभा या लोकसभा के अध्यक्ष किसी भी ऐसे सदस्य को, जो हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अच्छी तरह से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, सदन में, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 120(2) के अनुसार, 26 जनवरी, 1965 के बाद, (यदि संसद विधि द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था न करे तो) संसद की कार्रवाई केवल हिन्दी में (और विशेष मामलों में मातृभाषा में) होनी थी।

उल्लेखनीय है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(1) में 26 जनवरी, 1965 के बाद भी संसद के कार्यकलाप में हिन्दी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था कर दी गई है।

3—उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा :

संविधान के अनुच्छेद 348(1) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था की गई है कि जब तक संसद कोई दूसरी व्यवस्था न करे, तब तक, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां तथा केन्द्र और राज्यों के सभी अधिनियमों, विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। फिर भी, इस अनुच्छेद के खण्ड (2) में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, किसी राज्य का राज्यपाल, हिन्दी अथवा राज्य के किसी सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को, ऐसे उच्च न्यायालय की कार्रवाई के लिए प्राधिकृत कर सकता है जिसका मुख्यालय उस राज्य में हो। निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाना था। बाद में, राजभाषा अधिनियम की धारा 7 में इन प्रयोजनों के लिए भी हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था की गई।

4—राजभाषा आयोग एवं संसदीय समिति :

संविधान के अनुच्छेद 344 में यह कहा गया है कि संविधान के लागू होने के पांच वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे जो संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में और संघ के सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए या उनमें से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर रोक आदि के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए, इस अनुच्छेद के खण्ड (4) के अनुसार, 30 संसद सदस्यों की एक संसदीय समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई थी।

राजभाषा आयोग (1955) और उसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए बनाई गई संसदीय समिति (1957) दोनों का विचार था कि 1965 के बाद भी "सह-राजभाषा" के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहना चाहिए।

5—राजभाषा संबंधी कानूनी व्यवस्था :

अंग्रेजी के प्रयोग को चालू रखने के बारे में राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों पर अमल करने की दृष्टि से 1963 में राजभाषा अधिनियम पास किया गया। 1967 में इस अधिनियम का संशोधन किया गया। संशोधित राजभाषा अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं :—

(1) अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (क) संघ के जिन सरकारी प्रयोजनों के लिए 26 जनवरी, 1965 से पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था उन सभी के लिए और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए, 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए।

(2) केन्द्रीय सरकार और हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के साथ पत्राचार अंग्रेजी में होगा, बशर्ते उस राज्य ने इसके लिए हिन्दी के प्रयोग को स्वीकार न किया हो। इसी प्रकार, हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें भी उपर्युक्त राज्यों की सरकारी के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेंगी और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिन्दी में भेजती हैं तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेंगी। लेकिन, पारस्परिक समझौते से कोई भी दो राज्य आपसी पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और उनके स्वामित्व या नियंत्रण में काम करने वाले निगमों आदि के बीच पत्र-व्यवहार के प्रयोजन के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन जब तक संबंधित कार्यालयों आदि के कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें तब तक इस प्रकार के पत्र का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

(4) अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित कागज-पत्रों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों का ही प्रयोग अनिवार्य है :—

(1) संकल्प, (2) सामान्य आदेश, (3) नियम, (4) अधिसूचना (5) प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें (6) प्रेस विज्ञप्तियां, (7) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, (8) सरकारी कागज-पत्र, (9) संविदाएं (10) करार, (11) अनुज्ञप्तियां, (12) अनुज्ञा-पत्र, (13) टेंडर के नोटिस और (14) टेंडर के फार्म।

(5) धारा 3(4) के अनुसार अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि हिन्दी या अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण कर्मचारी प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और केवल इस आधार पर कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है उसका कोई अहित न हो।

(6) उपर्युक्त कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले राज्यों के विधान मंडल संकल्प न पारित करें और उसके बाद ऐसा करने के लिए संसद का प्रत्येक सदन भी संकल्प पारित न करें।

(7) धारा 4 में 26 जनवरी, 1975 के बाद, 30 संसद सदस्यों की एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति संघ के प्रयोजनों के लिए हिन्दी प्रयोग में हुई प्रगति की जांच करेगी और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी।

(8) धारा 7 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए, किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा हिन्दी अथवा राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है और जहां कहीं ऐसा किया जाएगा वहां हिन्दी आदि के पाठ के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी दिया जाएगा। (अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपालों ने अपने राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों में उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति से हिन्दी के प्रयोग की अनुमति ले ली है)।

6—18 जनवरी, 1968 का भाषा संकल्प

दिसम्बर, 1967 में संसद ने भाषा नीति विषयक एक सरकारी संकल्प स्वीकार किया था जिसके पैरा 1 के अनुसार केन्द्रीय सरकार हिन्दी के प्रचार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके क्रमिक प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी और उसे कार्यान्वित करेगी। केन्द्रीय सरकार इस संबंध में किए गए उपायों तथा उसमें हुए प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर प्रस्तुत करेगी।

7—वर्तमान द्विभाषिक दौर और राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

इस तरह एक लम्बी द्विभाषिक स्थिति शुरू हुई है, जिसमें प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकारी कामकाज में हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। उसे हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में तैयार किए हुए अपने नोट या ड्राफ्ट का स्वयं दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं देना है। साथ ही, कुछ प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। द्विभाषिक नीति की सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी सिखाई जाए, ताकि वे हिन्दी में लिखे गए नोटों और मसौदों को पढ़ सकें।

8—राजभाषा नीति और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

हालांकि संशोधित राजभाषा अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में धारा 3(3) में बताए गए कागजात हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जारी होने चाहिए। लेकिन प्रशासनिक दिक्कतों के कारण 1968 में ऐसा करना संभव नहीं था। इसलिए इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में 6 जुलाई, 1968 को जारी किए गए आदेश में यह कहा गया कि हिन्दी भाषा राज्यों में स्थित, केन्द्रीय सरकार के कार्यालय इन कागज-पत्रों को दोनों ही भाषाओं में अनिवार्यतः जारी करें और अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालय इसके लिए तैयारी करें।

9—राजभाषा नीति और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(2) और 3(5) में, केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और निगमों का स्पष्ट उल्लेख है और इसकी ओर 6 जुलाई, 1968 के प्रशासनिक आदेश द्वारा मंत्रालयों का ध्यान दिलाया गया था। लेकिन 1971-72 के कार्यक्रम में हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित उपक्रमों और निगमों से पहली बार कहा गया कि वे अधिनियम की धारा 3(2) और 3(3) का अनुपालन करने के लिए हिन्दी टाइपराइटरों, हिन्दी अनुवाद के लिए स्टाफ और अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रबंध करें। 1 जनवरी, 1973 से इन संस्थानों को हिन्दी के प्रयोग के बारे में तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रस्तुत करनी होती है।

10—राजभाषा नीति और अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

जैसा कि पहले बताया गया है, शुरू में हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया था। 6 जुलाई, 1968 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा, अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कुछ समय के लिए छूट सी दी गई थी, लेकिन, उनसे कहा गया था कि वे अनुवाद आदि के लिए जल्द से जल्द प्रबंध करें। 1973-74 और 1974-75 के कार्यक्रम में इन कार्यालयों से कहा गया कि वे अनुवाद के लिए स्टाफ की नियुक्ति, फार्मों का हिन्दी में अनुवाद और उनकी डिग्लाट फार्म में छपाई आदि प्रारंभिक कार्रवाइयां करें और संकल्प, नियम, नोटिस, करार आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करने के बारे में कानूनी आवश्यकता के कम से कम 20 प्रतिशत का अनुपालन करें।

11—राजभाषा नीति और अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित सरकारी उपक्रम

1975-76 के पहले अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित सरकारी उपक्रमों से राजभाषा नीति के उपर्युक्त उपबंधों के अनुपालन के बारे में नहीं कहा गया था। 1975-76 के कार्यक्रम में पहली बार उनसे कहा गया कि ये उपक्रम अपने हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का प्रबंध करें। प्रत्येक दफ्तर के लिए कम से कम हिन्दी का एक टाइपराइटर खरीदें, एक अनुवादक रखें तथा अपने कर्मचारियों को हिन्दी का सहायक साहित्य भी उपलब्ध कराएँ।

12—राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 4 के संदर्भ में धारा 8 में किए गए प्रावधान के अनुसार नियम बनाए गए। उन नियमों को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग) नियम, 1976 नाम देकर, 28 जून, 1976 को जारी किया गया। इन नियमों में किए गए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:—

(क) ये नियम केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू होते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समितियां अभिकरण तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रणाधीन निगम या कंपनी के कार्यालय आदि भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय की परिभाषा में आते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्र आदि हिन्दी भाषी राज्यों को (जिन्हें 'क' क्षेत्र के राज्य कहा गया है) या ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यालय

या व्यक्ति को हिन्दी में भेजे जाएंगे । यदि किन्हीं असाधारण दशाओं में कोई पत्रादि इन्हें अंग्रेजी में भेजे जाते हैं, तो उनका हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों तथा चंडीगढ़ और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को (जिन्हें 'ख' क्षेत्र में शामिल किया गया है) सामान्यतः हिन्दी में भेजे जाएंगे । यदि इन्हें कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा । लेकिन इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी दोनों में ऐसे किसी भाषा में भेजे जा सकते हैं।

(घ) अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों (जिन्हें 'ग' क्षेत्र कहा गया हैं) के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि सामान्यतया अंग्रेजी में भेजे जाएंगे ।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जिसे सरकार निर्धारित करेगी। 'क' क्षेत्र में स्थित अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे।

(च) केन्द्रीय सरकार के 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हों सकते हैं। (कुछ मामलों में दूसरी भाषा में इनका अनुवाद भेजना अपेक्षित है)।

(छ) हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएंगे । जब कभी कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन हिन्दी में किया जाए या उसपर हिन्दी में हस्ताक्षर किए जाएं तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए ।

(ज) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयोग में लाई जाएंगी और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होगी।

(झ) केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी जिसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, तकनीकी और विधिक दस्तावेजों को छोड़कर किसी हिन्दी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग नहीं कर सकता।

(ञ) केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या आलेखन हिन्दी में या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे ऐसे कागज का दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं मांगा जाएगा ।

(ट) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार किए जाएंगे । सभी फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, सूचनापट्ट तथा स्टेशनरी आदि की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में होंगी।

(ठ) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है ।

13—संघ शासित क्षेत्रों में आदेशों का लागू किया जाना

यह स्पष्ट किया गया है कि हिन्दी के उत्तरोत्तर उपयोग से संबंधित जो अनुदेश महाराष्ट्र, गजरात तथा पंजाब में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए जारी किए गए हैं वे केन्द्रीय सरकार के चण्डीगढ़ और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में भी लागू होंगे।

14. सभी मंत्रालयों और विभागों से निम्नलिखित कार्यों के लिए भी अनुरोध किया गया है :—

(1) प्रदर्शनियों में जनता की सुविधा के लिए प्रचार माध्यम के रूप में हिन्दी का पर्याप्त उपयोग किया जाए ।

(2) जब राज्य सरकारों से हिन्दी में पत्र प्राप्त हों तो वे उनसे ऐसे पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद न मांगे । यदि आवश्यकता महसूस हो तो ऐसे पत्रों के अंग्रेजी अनुवाद की व्यवस्था मंत्रालय अथवा विभाग स्वयं करें ।

(3) ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो जनता के संपर्क में आते हैं और जिनको बिल्ला लगाना पड़ता है यदि वे हिन्दी भाषी क्षेत्रों, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और चण्डीगढ़ में काम कर रहे हों तो बिल्ले हिन्दी में भी लगाएं ।

(4) केन्द्रीय सरकार के वे सभी मंत्रालय/विभाग और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, कंपनियां तथा निगम, जिनका जनता से सीधा संबंध होता है, अपने यहां किसी प्रमुख स्थान पर इस आशय का सूचना-पट्ट लगाएं कि वे हिन्दी में भरे गए फार्म आदि सहर्ष स्वीकार करते हैं।

(5) राजस्थान में स्थित कार्यालयों को चाहिए कि वे राजस्थान सरकार के निर्णयानुसार अपने सभी वेतन-बिल आदि हिन्दी में ही तैयार करें। किन्हीं खास मामलों में बिल अंग्रेजी में तैयार किए जा सकते हैं, पर इसके लिए कार्यालय के अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है और इन बिलों को स्वीकार करने के लिए संबंधित जिलाधीश से लिखित अनुरोध करना होगा।

15. राजभाषा अधिनियम की धारा 5(2) को जिसमें संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयकों अथवा उनके संशोधनों के अंग्रेजी के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनके प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद देने का उपबन्ध है, 1970 के बजट सत्र से अनौपचारिक रूप से लागू किया गया था। अब इस धारा को 1 अक्तूबर, 1976 से औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया।

16. पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों तथा चंडीगढ़ और अण्डमान एवं निकोबार संघ शासित क्षेत्रों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों और निगमों, कम्पनियों तथा उद्यमों से हिन्दी के उपयोग संबन्धी तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगाने का निर्णय किया गया है।

17. दिल्ली से बाहर आयोजित की जाने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में वहां के हिन्दी शिक्षण योजना के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं क्योंकि वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबन्धित हैं और इन बैठकों में लिए गए निर्णय उनके लिए भी उपयोगी होते हैं। साथ ही, ये अधिकारी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के बारे में इन बैठकों में उपयोगी सलाह दे सकते हैं।

18. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की जो बैठकें समय-समय पर बुलाई जाती हैं उनमें हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बठकों की आवश्यकता उन कर्मचारियों के लिए अधिक है जो अपना कामकाज हिन्दी में करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।

19. ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाला तृतीय श्रेणी का कोई कर्मचारी यदि यह मांग करता है कि उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाई हिन्दी में की जाए तो उसकी मांग को स्वीकार करने में सिद्धान्ततः कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि किन्हीं प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना संभव न हो तो ऐसी दशा में कर्मचारी की मांग अस्वीकार की जा सकती है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात राज्यों और चण्डीगढ़ तथा अण्डमान व निकोबार केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में भी, कार्यालय के अध्यक्ष की अनुमति से, यह व्यवस्था अपनाई जा सकती है।

20. केन्द्रीय हिन्दी समिति के अनुमोदन से ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रणाधीन निगमों, कम्पनियों उद्यमों आदि द्वारा जो माल तैयार किया जाता है उस पर विवरण अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी दिया जाए।

21. केन्द्रीय हिन्दी समिति के अनुमोदन से यह निर्णय किया गया है कि:—

(क) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्टेशनों आदि के नामपट्टों और जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले सूचना बोर्डों में सबसे ऊपर क्षेत्रीय भाषा की लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि और सबसे नीचे रोमन लिपि का प्रयोग किया जाए।

(ख) केन्द्रीय पुलिस दलों और रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों की नामपट्टियों में देवनागरी और रोमन लिपियों का प्रयोग करना होगा, लेकिन टोपियों और कंधों पर जो बिल्ले लगाए जाते हैं, उनमें केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवरण से यह पता चलेगा कि केन्द्रीय सरकार की बराबर ही यह नीति रही है कि हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए किन्तु ऐसा करते समय इस बात का बराबर ध्यान रखा जाए कि संघ सरकार की द्विभाषिक नीति ध्यान में रहे और जो भी कदम उठाए जाएं उससे किसी का अहित न हो और साथ ही अंग्रेजी के प्रयोग के बारे में जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं उसका भी पूरा-पूरा अनुपालन हो ताकि अहिन्दी भाषी राज्यों को और हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएं

डा० इलपावुलूरि पांडुरंग राव
विशेष कार्य अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग

किसी भी व्यक्ति को अपने को व्यक्त करने की शक्ति वाणी से ही प्राप्त होती है। इसलिए वाणी या भाषा ही व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान करती है। जैसे व्यक्ति का, वसे राष्ट्र का भी व्यक्तित्व उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम (भाषा) पर निर्भर होता है। सशक्त राष्ट्र की वाणी सशक्त होती है और स्वतंत्र राष्ट्र की वाणी स्वतंत्र होती है। इसी सात्विक और स्वाभाविक विचारधारा से प्रेरित होकर नव भारत के निर्माताओं (नेताओं) ने स्वाधीन भारत के लिए एक समन्वयात्मक सारस्वत साधन या सामाजिक अभिव्यंजना के लिए एक सशक्त माध्यम चुन लिया है और उसे हिन्दी का नाम दिया है। महात्मा जैसे मनीषियों के पुनीत संकल्प के बल पर भारत के संविधान में इसे वैधानिक रूप भी मिला है। पर इस सात्विक साधना के सांविधानिक स्वरूप को आत्मसात करने में प्रगतिशील समाज के प्रतिभाशाली सदस्यों को काफी समय लग रहा है। फिर भी सही, दिशा में, धीरे-धीरे ही सही, जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे भारत की जनता आशान्वित है।

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी में लिखी हिन्दी संघ की राजभाषा है। पर अनुच्छेद 343 (2) में इसे लागू करने के लिए पंद्रह वर्ष की अवधि दी गई है और अनुच्छेद 343(3) में इस अवधि के बाद भी आवश्यकतानुसार अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का अधिकार सरकार को दिया गया है। संविधान की इसी व्यवस्था के अनुसार सरकार की भाषा नीति आगे बढ़ रही है। संघ की राजभाषा के संबन्ध में संविधान की जो व्यवस्था और सरकार की जो नीति है, उससे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग का निकट संबन्ध है क्योंकि भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करने के उद्देश्य से ही संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसलिए शासन की भाषा से आयोग की परीक्षाओं में माध्यम की समस्या का सीधा संबन्ध होना स्वाभाविक है। पर साथ ही इन परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार जिन विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं से उच्च शिक्षा पाकर आते हैं, वहां के शिक्षा-माध्यम पर भी आयोग को बहुत हद तक निर्भर रहना पड़ता है।

इन सभी बातों को दृष्टि में रख कर आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 344 की अपेक्षा के अनुसार 1955 में गठित राजभाषा आयोग ने पहली बार शैक्षिक दृष्टि से विचार किया था। राजभाषा आयोग ने राजभाषा सम्बन्धी और भी बहुत सी बातों के साथ-साथ अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के बारे में समग्र रूप से विचार करने के बाद सरकार के सामने अपना यह मंतव्य प्रस्तुत किया कि समुचित पूर्व सूचना देकर इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाया जा सकता है। इस अनुशंसा के साथ आयोग ने इस बात की ओर भी संकेत दिया था कि हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं को भी इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार करना कुछ समय के बाद ही सही आवश्यक हो सकता है। लेकिन उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि किसी भी भाषा को माध्यम बनाने के लिए उसकी उपयुक्तता निर्धारित करने वाला एक मानदंड तैयार किया जाए जिसके आधार पर यह निर्णय किया जाए कि कौन-सी भाषा किस दशा में कितना विकास प्राप्त करने के बाद माध्यम के रूप में स्वीकार की जा सकती है। आयोग इस बात से भी अवगत था कि एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब अनेक भाषाओं के माध्यम से ये प्रतियोगिता परीक्षाएं चलने लगें तो विभिन्न भाषाओं में दिए गए उत्तरों के मूल्यांकन में समतुल्यता लाना असंभव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य बन सकता है और इसके लिए उनका सुझाव था कि या तो कम से कम भाषाएं माध्यम के रूप में स्वीकार की जाएं या फिर परीक्षा प्रणाली में ही ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए कि विभिन्न भाषाओं के माध्यम बन जाने से मूल्यांकन की समतुल्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार राजभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक संसदीय समिति का गठन किया जिसका विचार था कि अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी को कुछ समय के बाद वैकल्पिक माध्यम बनाया जा सकता है। पर संभवत: काफी समय तक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को साथ-साथ चलाना पड़ेगा। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी, इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के रूप में, प्रयोग करने के संबन्ध में इस समिति ने कोई आपत्ति तो प्रकट नहीं की, पर इस बात की संभावना से वह आतंकित थे कि कहीं इस रूप में कांटा-पद्धति इन परीक्षाओं में घुस न जाए। समिति ने यह भी कहा कि जब हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं को भी वैकल्पिक माध्यम बनाना हो तो इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए।

समिति की इस अनुशंसा पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करने के बाद अप्रैल 1960 में भारत सरकार ने यह निर्णय किया था कि संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर गृह मंत्रालय हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाने का प्रयास करे। इस पर संघ लोक सेवा आयोग ने कई पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार को बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षाओं में 1963 से हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाया जा सकता है। पर सरकार ने यह निर्णय किया कि यह काम 1965 से शुरू किया जाए क्योंकि तब तक पन्द्रह साल की अवधि भी पूरी हो जाएगी और हिन्दी संघ सरकार की एकमात्र नहीं तो कम से कम प्रमुख राजभाषा बन जाएगी। तदनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने 1965 की भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षाओं में दो अनिवार्य विषयों (निबंध और सामान्य ज्ञान) के अतिरिक्त कुछ ऐच्छिक विषयों में भी हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाने के लिए आवश्यक तैयारी कर ली थी और सरकार को सूचित कर दिया था।

लेकिन इसी समय सरकार की भाषा नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की जो बठक 2 जून, 1965 को संपन्न हुई, उसमें यह निर्णय किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में चलाने का प्रबन्ध किया जाए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य में वहां की क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से सरकारी कामकाज चलाने और विश्वविद्यालयों में प्रान्तीय भाषाओं को माध्यम बनाने संबन्धी कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाए। इस निर्णय के अनुसार सरकार ने दिसम्बर 1965 में आयोग को सूचित किया कि अखिल भारतीय और उच्च केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को एक साथ माध्यम बना दिया जाए, भले ही यह विकल्प शुरू-शुरू में कुछ ही प्रश्न-पत्रों तक सीमित क्यों न हों। आशय यह था कि धीरे-धीरे यह विकल्प अन्य प्रश्न-पत्रों के लिए भी लागू हो सके। इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग ने हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाने के लिए जो भी तैयारी की, उसी प्रकार का प्रारंभिक कार्य फिर दूसरी भाषाओं में भी करना पड़ा और इसमें कुछ समय लगा। आखिर आयोग के परामर्श से भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि 1969 की भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा से निबंध और सामान्य ज्ञान (दो अनिवार्य विषयों) में प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में देने की अनुमति दी जाए। यह आयोग की परीक्षाओं में भाषा-माध्यम की प्रगति में एक महत्वपूर्ण सोपान है जिसने अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करने के सात्विक प्रयास में हिन्दी को सारी भारतीय भाषाओं का सहारा दिलाया और हिन्दी की प्रगति को अन्य भारतीय भाषाओं की समन्वित प्रगति के साथ समेकित कर दिया।

यहां पर इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित एक अन्य परीक्षा सहायक ग्रेड परीक्षा में 1964 से ही हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाया जा चुका था। पहले केवल निबन्ध और सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में यह सुविधा दी गई थी और बाद में 1974 से गणित के प्रश्न-पत्र में भी यह लागू कर दी गई। अब ये प्रश्न-पत्र भी अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में दिए जाते हैं।

इसी प्रकार आशुलिपिक परीक्षा में भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र में हिन्दी माध्यम की सुविधा दी गई है। अनुभाग अधिकारियों के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भी इसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। पर इसका उपयोग जितना सहायक ग्रेड परीक्षा के उम्मीदवार कर पा रहे हैं, उतना अन्य परीक्षाओं के उम्मीदवार नहीं कर पा रहे हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा में 1969 से दो प्रश्न-पत्रों में वैकल्पिक माध्यम की जो सुविधा दी गई थी, उसका भी बहुत कम लाभ उठाया गया है। नीचे दिए गए आंकड़ों को देखकर आश्चर्य होता है कि पिछले दस साल से इस सुविधा का लाभ उठाने वाले उम्मीदवार—सभी भारतीय भाषाओं को मिलाकर—बीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

भारतीय भाषाओं के माध्यम से 'निबंध' लिखने वालों की संख्या

माध्यम	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
असमिया	08	06	04	08	04	02	06	05
बंगला	106	84	91	90	130	167	129	130
गुजराती	17	23	28	34	58	27	38	55
हिन्दी	877	791	932	1148	1556	1917	2098	2529
कन्नड़	11	03	10	09	11	15	08	21
कश्मीरी	—	01	—	02	04	02	01	—
मलयालम	25	17	18	16	25	38	26	36
मराठी	30	27	30	23	34	50	47	61
उड़िया	18	12	15	16	17	25	33	41
पंजाबी	35	40	57	57	96	113	152	169
संस्कृत	—	01	—	01	—	—	01	01
सिन्धी (देवनागरी)	01	—	—	—	01	—	—	01
सिन्धी (अरबी)	—	01	02	02	04	01	02	—
तमिल	30	29	27	47	56	76	115	133
तेलुगु	27	14	10	20	29	41	44	33
उर्दू	22	19	19	16	41	32	46	38
कुल संख्या	1207	1068	1243	1489	2066	2506	2746	3253
प्रतिशत	18.55	15.88	16.31	17.66	16.39	17.87	17.72	18.45

भारतीय भाषाओं के माध्यम से 'सामान्य ज्ञान' लिखने वालों की संख्या

माध्यम	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
असमिया	03	03	04	05	02	01	05	03
बंगला	68	46	54	46	51	77	73	71
गुजराती	17	20	27	33	43	26	35	54
हिन्दी	630	458	539	648	746	896	1046	1219
कन्नड	09	02	08	06	07	08	05	15
कश्मीरी	—	—	—	—	01	01	—	—
मलयालम	21	12	12	10	17	21	14	18
मराठी	28	17	21	18	24	38	33	43
उड़िया	15	08	06	09	08	12	16	26
पंजाबी	26	24	30	21	46	45	67	59
संस्कृत	—	01	—	01	—	—	01	—
सिन्धी (देवनागरी)	—	—	—	—	—	—	02	01
सिन्धी (अरबी)	01	01	02	01	04	—	—	—
तमिल	24	24	17	30	40	50	83	83
तेलुगु	20	09	06	17	19	27	31	15
उर्दू	10	08	12	09	11	17	26	21
कुल संख्या	872	633	738	854	1019	1219	1437	1628
प्रतिशत	13.63	9.54	9.82	10.14	8.21	8.80	9.43	9.36

निबंध एक ऐसा विषय है जिसका विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम या पाठ्य विषयों से कोई विशेष संबंध नहीं है और जिसमें सामान्य प्रज्ञा के आधार पर सर्वसामान्य विषयों पर सुलझे हुए विचारों की स्पष्ट अभिव्यंजना अपेक्षित है। शिक्षा-माध्यम से इसका इतना संबंध नहीं है जितना कि भाषा-विशेष में विचारों की अभिव्यंजना की क्षमता से। इसलिए यह अपेक्षा थी कि इस विषय को अपनी भाषा के माध्यम से लिखने की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाएगा। पर पिछले दस साल का अनुभव इससे भिन्न है।

प्रतियोगिता-परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में उम्मीदवारों की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। सब से प्रबल तर्क यह दिया जाता था कि भारतीय भाषाओं में लिखने की जो छूट दी गई है, वह केवल दो प्रश्न-पत्रों तक सीमित है; अगर यह छूट पूरी परीक्षा के लिए लागू होती तो शायद अधिक से अधिक उम्मीदवार इसका लाभ उठा पाते। लेकिन वैकल्पिक माध्यम के अलावा ऐच्छिक विषयों में भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है। इसकी प्रतिक्रिया भी उत्साहजनक नहीं थी। यह सुविधा भी 1969 से उपलब्ध रही। अब तक हिन्दी, पंजाबी, बंगला और तमिल को छोड़कर और किसी भी भाषा के साहित्य को ऐच्छिक विषय के रूप में लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या किसी भी वर्ष 100 से अधिक नहीं थी, हालाँकि यह संख्या कुछ भाषाओं में बढ़ती जा रही है। इस बात की पुष्टि नीचे की तालिका से हो जाती है :—

क्रमांक	भारतीय भाषाएँ (वैकल्पिक विषय)	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या							
		1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
1.	असमिया	07	06	09	10	15	06	13	15
2.	बंगला	44	35	50	55	98	133	126	143
3.	गुजराती	06	15	16	19	26	14	31	34
4.	हिन्दी	689	516	565	648	715	748	775	931
5.	कन्नड़	14	11	14	17	13	12	16	26
6.	कश्मीरी	—	—	—	02	02	02	03	03
7.	मलयालम	13	22	19	20	30	28	34	33
8.	मराठी	18	10	09	12	21	31	36	61
9.	उड़िया	05	05	05	10	10	15	31	27
10.	पंजाबी	32	46	47	67	138	156	216	229
11.	संस्कृत	189	166	159	155	199	201	231	216
12.	सिंधी	04	03	01	01	03	02	06	06
13.	तमिल	39	54	70	95	176	277	393	550
14.	तेलुगु	12	16	09	20	24	27	40	31
15.	उर्दू	35	37	47	49	78	89	123	138
	कुल संख्या (संस्कृत को छोडकर)	918	776	861	1025	1349	1540	1843	2227
	प्रतिशत	14.10	11.54	11.30	12.16	10.68	10.96	11.89	12.63

उम्मीदवारों की इस सहेतुक या अहेतुक उदासीनता के होते हुए भी समूची परीक्षा में भारतीय भाषाओं के वैकल्पिक माध्यम लागू करने की दिशा में बराबर प्रयास चलते रहे—सरकार की तरफ से और आयोग की तरफ से भी। आयोग चाहता था कि जल्दी से जल्दी सभी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं बन जाएँ और लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ भी प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से चलें ताकि इन भाषाओं को अखिल भारतीय प्रतियोगिता-परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार करने में आयोग को कोई व्यावहारिक कठिनाई न हो। पर इसके लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करना भी ठीक नहीं था। इसलिए इस समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने फरवरी, 1974 में डा० दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने सभी बातों पर समग्ररूप से विचार कर 29 मार्च, 1976 को सिविल सेवा परीक्षा की एक नई योजना आयोग के सामने रखी। यह योजना कुछ फेर बदल के साथ अब सरकार द्वारा स्वीकृत हुई है। आशा की जाती है कि इस योजना के अनुसार पहली सिविल सेवा परीक्षा 1979 में चलाई जाएगी।

इस योजना की चार-पाँच प्रमुख विशेषताएँ हैं। पहली बात यह है कि परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाएँ स्वीकृत हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है जिसका भारतीय भाषाओं के विकास में ऐतिहासिक महत्व होगा। आज भारत की उच्चतम प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती होने के लिए उम्मीदवार अपनी ही भाषा का सहारा ले सकता है। यह वाचिक स्वतंत्रता तीस वर्ष पहले प्राप्त भौतिक स्वतंत्रता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पर देखना चाहिए कि राष्ट्र का युवा-वर्ग इससे कहां तक लाभान्वित होता है।

नई सिविल सेवा परीक्षा में आयु की सीमा भी 28 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। इससे शहरी सभ्यता से पूरा पूरा लाभ जल्दी से जल्दी उठाने में पिछड़ी हुई ग्रामीण जनता के लाभान्वित होने की संभावना है। साथ ही, जीवन में कुछ सापेक्ष स्थिरता प्राप्त करने के बाद भी वर्द्धमान युवक इस प्रतियोगिता का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें परीक्षा दो किश्तों में ली जाएगी। पहले दो प्रश्न-पत्रों (सामान्य अध्ययन और एक विषय) की प्रारम्भिक परीक्षा होगी जिसमें विशेष तैयारी के बिना भी उम्मीदवार बैठ सकते हैं। इसमें सफल होने पर चार विषयों और आठ प्रश्न पत्रों की प्रधान परीक्षा में बैठने की पात्रता मिल जाएगी। इससे कई उम्मीदवारों को बिना विशेष प्रयास के अपनी योग्यता आजमा लेने का अवसर मिल जाएगा। आयोग को भी इससे जो उम्मीदवार सचमुच इस प्रतियोगता के पात्र हैं, उनको छाँट लेने से प्रधान परीक्षा में जो भी व्यावहारिक कठिनाई होती उसे बहुत हद तक सुलझा लेने में सुविधा होगी। इसके अलावा प्रारम्भिक परीक्षा के आसान हो जाने से अधिक से अधिक उम्मीदवारों को इसमें बैठने का अवसर मिलेगा।

इस योजना की चौथी विशेषता यह है कि एक ही परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवार सभी सेवाओं के लिए प्रतियोगिता कर सकता है क्योंकि वास्तव में सेवा विशेष का निर्णय परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद ही होता है।

इस योजना की एक और विशेषता यह है कि अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी न किसी भारतीय भाषा का ज्ञान सब के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधान परीक्षा में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र इसके लिए निर्धारित है। अब तक इस बात की व्यवस्था नहीं होने से भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऐसे अनेक अधिकारी देखने को मिलते थे जिनको अपने राष्ट्र की किसी भी भाषा में न तो कोई प्रवेश था और न उसके प्रति कोई भावात्मक तादात्म्य। बल्कि बहुत से अधिकारी इस बात पर गर्व का अनुभव करते थे कि वे अंग्रेजी को छोड़कर और किसी भाषा में बोल नहीं सकते। राष्ट्रीय भावना के लिए इससे अधिक घातक और लज्जास्पद बात नहीं हो सकती है। प्रस्तुत योजना ने सिविल सेवा परीक्षा को इस कलंक से मुक्त कर दिया है। संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी न किसी भाषा की अच्छी जानकारी के बिना अब कोई भी उम्मीदवार देश के शासन में प्रवेश नहीं पा सकता। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जन शासन का सेवक जन भाषा के माध्यम से ही जन मानस तक पहुंच कर जन हित में योग दे सके।

इस परिवर्तन से भारतीय भाषाओं को जो उचित स्थान मिला है, वह अभिनंदनीय है। इससे कम से कम उन उम्मीदवारों की समस्या का समाधान हो जाता है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अंग्रेजी के माध्यम से प्रतियोगिता-परीक्षाओं में बैठने के लिए बाध्य हो रहे हैं। पिछले दस पंद्रह वर्षों में भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ रही है। हिन्दी, गुजराती, पंजाबी और बंगला में यह प्रगति काफी अधिक है। लेकिन यह सारा प्रयास तभी सार्थक होगा जब शासन, शिक्षा और समाज के प्रबुद्ध और प्रतिभाशाली प्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण परिवर्तन की सही गरिमा समझ लें और तदनुसार अपने कार्यक्षेत्र में भारतीयता को प्रतिष्ठित कर लें। शिक्षा और प्रशासन दो प्रमुख भुजाएँ हैं जिनके बल पर संघ लोक सेवा आयोग का भाषा-स्कंध सुदृढ़ बन सकता है। स्कंध चाहे कितना भी मज़बूत हो, भुजाओं की सजग क्रियाशीलता के बिना सौंदर्य और सामर्थ्य का समग्र रूप हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो सकता। अतः शिक्षा और शासन रूपी भुजाओं को सबल बनाकर सेवा स्कंध की स्थिरता में सहयोग देना राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में हिन्दी

प्रकाश नारायण मालवीय
संयुक्त निदेशक (हिन्दी)

ऐसा प्रायः देखा गया है कि जब किसी विभाग के कामकाज में हिन्दी की प्रगति आशा के अनुकूल नहीं होती तो कहा जाता है कि विभाग का काम तकनीकी किस्म का है और उसमें होने वाले कामकाज के लिए उपयुक्त साधन और सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। अगर यह बात मान ली जाय तो हिन्दी का सरकारी कामकाज में प्रयोग होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा क्योंकि प्रायः प्रत्येक विभाग का काम अपने ढंग का तकनीकी काम है।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग ऐसी बात नहीं मानता हालांकि यदि इसके संगठन और इसकी कार्यप्रणाली को देखा जाये तो आश्चर्य होगा कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद उसमें हिन्दी की प्रगति कैसे हुई और कैसे हो रही है। इसके पहले कि इस बारे में और कुछ कहा जाये यह अप्रासंगिक नहीं होगा कि यह बता दिया जाए कि राजभाषा आयोग ने इस विभाग के बारे में क्या कहा है।

"नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संगठन का मामला विशेष प्रकार का है और विशेष रूप से विचारणीय है। ..... पहली बात विचार करने की यह है कि जब प्रत्येक राज्य एक या उससे अधिक क्षेत्रीय भाषाओं को अपने राज्य की भाषा/भाषाएँ मान लेता है तो क्या महालेखाकारों को राज्यों में किया गया लेखा कार्य एक समान भाषा में प्राप्त कराया जा सकता है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाय तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संगठन में न्यूनतम अव्यवस्था होगी..... .....। हम समझते हैं कि ऐसी व्यवस्था में कुछ कठिनाइयां हैं। लेखे प्रशासन कार्य के बाई-प्राडक्ट हैं..... राज्यों के प्रशासन कार्य में तो संभवतः केवल क्षेत्रीय भाषाएँ ही अंग्रेजी का स्थान लेंगी। यद्यपि संविधान, विधान मंडलों को राज्यों के कार्य के लिये हिन्दी अपनाने का अधिकार देता है, तथापि यह कहना मुश्किल है और सच तो यह है कि यह संभावना नहीं है कि .....राज्यों के आपसी पत्राचार में और केन्द्र और राज्यों में पत्राचार में सांविधिक रूप से अपेक्षित पत्राचार को छोड़कर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षेत्र में हिन्दी अपनायी जाये।..... इसलिए राज्य को इस अपेक्षा को पूरा करना कठिन होगा कि हर स्तर पर जिससे महालेखाकार संबंधित है, लेखे हिन्दी में लिखे और रखे जाएँ क्योंकि संबद्ध प्रशासनिक कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान नहीं होगा।

लेखापरीक्षा के लिए महालेखाकार को राज्य के अधिकारियों से काफी पत्राचार करना पड़ता है, और संबद्ध फाइलों को देखना पड़ता है जिसमें सचिवालय और विभागाध्यक्ष की फाइलें भी शामिल हैं। अगर राज्य में क्षेत्रीय भाषा को सरकारी भाषा के रूप में अपनाया गया है तो यह स्वाभाविक है कि सचिवालय तथा अन्य कार्यालयों की फाइलों में टिप्पणियां भी क्षेत्रीय भाषा में होंगी..... इसलिए हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जब कोई राज्य एक क्षेत्रीय भाषा को सरकारी भाषा मान ले तो भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के उन कर्मचारियों को जो उस राज्य के लेखा कार्य से संबद्ध हैं, उस क्षेत्रीय भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वे अपने कर्तव्य भली भांति निभा सकें।"

(राजभाषा आयोग की रिपोर्ट, अध्याय vii से उद्धृत हिन्दी रूपान्तर—लेखक)

विभिन्न राज्यों में इस विभाग के एक सौ से अधिक कार्यालय तथा उप कार्यालय हैं। कार्यालयों का नियंत्रण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेश से उनके मुख्यालय द्वारा होता है परन्तु अधिकांश रूप में राज्यों के महालेखाकार विभागाध्यक्ष की हैसियत से अपने कार्यालयों का संचालन करते हैं। लेखापरीक्षक कार्य के सिलसिले में महा लेखाकार का संबंध मुख्यतः राज्य सरकार से होता है। तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों में वे नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय से संबद्ध हैं ही। कुछ मामलों में महा लेखाकार सीधे केन्द्र सरकार से सम्पर्क करते हैं। "क" क्षेत्र की भाषा हिन्दी है परन्तु "ख" और "ग" क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषायें हैं। अनेक राज्य सरकारों ने राज्य की क्षेत्रीय भाषा को उस राज्य की सरकारी भाषा माना है और सरकारी कामकाज उसी भाषा में करना आरम्भ कर दिया है। अतएव लेखापरीक्षा कार्य के लिए लेखापरीक्षकों को स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। लेखापरीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का स्थानांतरण किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, अतएव लेखापरीक्षकों के कार्य पर उच्च स्तरीय तकनीकी मार्गदर्शन एक अत्यन्त कठिन काम है, फिर भी उच्च अधिकारियों के परिश्रम से यह काम सुचारू रूप से चल रहा है।

सिविल महालेखाकारों के कार्यालयों के अलावा रेलवे लेखापरीक्षा विभाग, डाक-तार का लेखापरीक्षा विभाग तथा रक्षा सेवाओं के लेखापरीक्षा विभाग भी हैं। रेलवे लेखापरीक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं । डाक-तार और रक्षा सेवाओं के लेखापरीक्षा विभागों के मुख्यालय तो दिल्ली में हैं परन्तु उप कार्यालय सारे भारतवर्ष में हैं। इनकी भाषा समस्या कुछ अधिक जटिल है क्योंकि इनके निचले स्तर के अधिकारियों की सेवाएं भी स्थानान्तरणीय हैं । साथ ही साथ उनकी भाषा नीति भी संबंधित डाक-तार, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे की स्थानीय भाषा नीति पर अवलम्बित है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये तीनों विभाग केन्द्रीय सरकार के हैं । भिन्न-भिन्न स्तरों पर इनके भिन्न भिन्न भाषा भाषी कार्यालयों का होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में लेखापरीक्षा विभाग का उनके साथ पत्र व्यवहार तथा मुख्यालयों का उप कार्यालयों तथा उप कार्यालयों का आपस में पत्र व्यवहार, केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के आदेशों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी खासी चुनौती है।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग इस ओर प्रयत्नशील है कि "क" क्षेत्र के कार्यालय में जहाँ जनभाषा और राज्य भाषा हिन्दी है, हिन्दी में काम काज करने की प्रवृत्ति अधिक से अधिक हो तथा "ख" और "ग" क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राजभाषा नियमों का पालन हो।

कार्यालयों को अधिसूचित करना : राजभाषा नियम 10 (4) के अन्तर्गत उन कार्यालयों के नाम जिनके 80 प्रतिशत या अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करने का प्रावधान है। लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के 38 कार्यालय "क" क्षेत्र में हैं जिनमें से 32 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

हिन्दी में मूल पत्राचार : पिछले दो वर्षों में हिन्दी में मूल रूप से लिखे गये पत्रों में बड़ी उत्साहजनक वृद्धि हुई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 'क' और 'ख' क्षेत्रों में अक्तूबर-दिसम्बर 1976 में हिन्दी में लिखे गये पत्रों की संख्या 28,724 थी, किन्तु जुलाई-सितम्बर 1978 में यह संख्या बढ़कर 1,25,581 हो गई। 'ग' क्षेत्र के कुछ कार्यालयों ने भी हिन्दी में मूल पत्र भेजने का प्रयास किया और जुलाई-सितम्बर 1978 की तिमाही में 200 पत्र मूल-रूप से हिन्दी में भेजे गये।

हिन्दी के पत्रों का हिन्दी में उत्तर : दिसम्बर, 1976 में समाप्त होने वाली तिमाही में हिन्दी में 2,42,987 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 1,25,291 के उत्तर दिये गये। इनमें से 80,660 उत्तर हिन्दी में दिये गए और 44,631 अंग्रेजी में । सितम्बर 1978 में समाप्त होने वाली तिमाही में यह संख्यायें क्रमशः 2,76,763, 1,52,122, 1,32,380, 19,742 थीं, अर्थात् केवल 19,742 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में भेजे गये।

महालेखाकार के कार्यालय में हिन्दी व्यवहार प्रदर्शनी में श्री ओम मेहता और संसदीय समिति के अन्य सदस्य

विभाग इस बारे में निरंतर प्रयत्नशील है कि नियमों के पालन में जो कुछ कमी रह गई है, वह भी दूर हो जाये, तथा सभी सामान्य आदेश आदि द्विभाषी रूप में जारी हों और हिन्दी के पत्रों का उत्तर हिन्दी में जाये ।

अनुवाद : मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यकतानुसार हिन्दी अनुभाग बनाये गये हैं । हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अनुवाद का कार्य मुख्यतः आडिट रिपोर्टों का तथा सामान्य आदेशों का होता है । कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह साधारण पत्रों के प्रारूप मूलरूप से हिन्दी में ही बनायें । अनुवादकों के लिए अलग से एक नियमित संवर्ग (रेगुलर काडर) बनाने का मामला विचाराधीन है ।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्राधिकार से जारी की गई 23 नियम पुस्तकों में से 22 का अनुवाद हो चुका है। जिसमें से 13 पुस्तकें द्विभाषी रूप से छप चुकी हैं दो पुस्तकें प्रेस में छपने के लिए भेजी जा चुकी हैं । 2 पुस्तकों की प्रेस कापी तैयार हो रही है और बाकी 5 पुस्तकों को संशोधित किया जा रहा है ।

विभाग में प्रयुक्त होने वाले सभी फार्म जिनकी संख्या लगभग 863 है, अनुवाद के बाद द्विभाषी रूप में छापने के लिए प्रेस को भेजे जा चुके हैं ।

मुख्यालय द्वारा तिमाही रूप से जारी की जाने वाली "आडिट बुलेटिन" का भाग V द्विभाषी रूप में छापा जाता है ।

संसदीय उप समिति द्वारा निरीक्षण : राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण करती है । इस उप समिति ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय का तथा श्रीनगर, जयपुर, ग्वालियर, भोपाल, अहमदाबाद, गोवा, त्रिवेन्द्रम आदि में स्थित कार्यालयों का निरीक्षण किया है । इससे हिन्दी की प्रगति को काफी प्रोत्साहन मिला है । उस समिति के निरीक्षण से अहिन्दी भाषी लोगों की अनेक गलतफहमियां दूर हो गई हैं ।

सरकारी कामकाज में सरल भाषा का प्रयोग : भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार इस बात पर बराबर जोर दिया जाता है कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल होनी चाहिए और रोज की बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए । अगर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग आवश्यक हो और उससे अर्थ अधिक स्पष्ट हों तो उन्हें भी देवनागरी लिपि में लिखने में हिचकना नहीं चाहिए ।

विदेश स्थित कार्यालय : विभाग के लन्दन और वाशिंगटन स्थित कार्यालयों को भी उचित निदेश भेज दिये गये हैं कि वे राजभाषा नियमों का पालन करें । आशा है जैसे-जैसे भारतीय दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा, लेखा तथा लेखापरीक्षा के काम में भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा ।

परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग : निम्नस्तर की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग तो होता ही है, विभाग की सबसे मुख्य परीक्षा, अधीनस्थ लेखा सेवा (सबार्डिनेट एकाउन्टस सर्विस)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सांस्कृतिक समारोह में संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

परीक्षा के सार लेखन, संविधान और बुक-कीपिंग के प्रश्न पत्र हिन्दी में भी बनाये जाते हैं और उनका हिन्दी में उत्तर देने की छूट है । मूल नियामावली के और सिविल लेखा तथा लेखापरीक्षा के प्रश्न पत्र इसलिए अंग्रेजी में हैं क्योंकि सम्बन्धित पुस्तकों का अनुवाद वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में अगर प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने की छूट दे भी दी जाये तो परीक्षा देने वालों को सही उत्तर देने में और उसका मूल्यांकन करने में कठिनाई होगी। अतएव इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि नियमों के अनुवाद शीघ्रातिशीघ्र हों जिससे परीक्षार्थियों को हिन्दी में उत्तर देने की सुविधा दी जा सके ।

भविष्य में प्रगति : उपरोक्त बातों से यह पता चलता है कि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में हिन्दी के प्रयोग में सराहनीय वृद्धि हुई है। तथापि हिन्दी के प्रयोग के बारे में हमारे प्रयत्न निरन्तर जारी रहेंगे । जैसाकि सर्वविदित है, लेखापरीक्षा का काम मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों/संस्थानों और उपक्रमों के काम से सम्बद्ध होता है और इस विभाग में हिन्दी का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि ये मंत्रालय, संस्थान आदि हिन्दी का कितना प्रयोग करते हैं । मेरा अपना विचार है कि सरकारी संस्थानों और उपक्रमों में हिन्दी का प्रयोग अत्यन्त सीमित है जबकि उन्हें हिन्दी के प्रयोग में सबसे तीव्र कदम उठाने चाहिए । ऐसा करने से एक बड़े व्यापक क्षेत्र में हिन्दी का विस्तार होगा । यही बात वित्त मंत्रालय पर भी लागू है । लगभग सभी जरूरी फाइलें वित्त मंत्रालय को किसी न किसी समय भेजी जाती हैं । अगर इन पर टिप्पणी या अशासकीय नोट हिन्दी में होने लगें तो सभी विभागों की हिन्दी में काम करने की झिझक दूर हो जाये और एक और क्षेत्र हिन्दी के काम के लिए खुल जाये जिसमें लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग भी शामिल हैं ।

□□□

[पृष्ठ 8 का शेष]

गया है' । यहां न्यायालय का यह आशय नहीं होता कि निर्णय को कहीं रखकर उस पर दो सशस्त्र पहरेदार लगा दिए जाएं ताकि कोई आशंका न रहे । हिन्दी में जो कहा जाता है उससे यही अर्थ निलकता है कि निर्णय को या तो तिजोरी में बन्द कर दिया गया है या पहरे के अन्दर रख दिया गया है, जबकि, जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं उसका तात्पर्य यह होता है कि 'निर्णय बाद में सुनाया जाएगा'। एक भूल और की जाती है वह यह कि हम अपने आस-पास के जो शब्द हैं, जिनसे हम परिचित हैं, उन्हें ही सरल और सुबोध मान लेते हैं । भाषा-शास्त्र के अनुसार शब्द न तो सरल होते हैं न कठिन । वे केवल परिचित या अपरिचित होते हैं । अंग्रेजी में जो वकालत करते हैं उन व्यक्तियों को uncorroborated testimony जैसा शब्द कठिन नहीं प्रतीत होता । या mens-rea शब्द दुर्बोध नहीं लगता । किन्तु जिस व्यक्ति ने न्यायालय में काम नहीं किया है उसे ये शब्द कठिन लगते हैं। यही स्थिति हिन्दी में विधि के शब्दों की है । हमें उनसे धीरे-धीरे परिचित होना पड़ेगा और इसलिए सभी हिन्दी-प्रेमियों का यह कर्तव्य है कि वे विधि की अखिल भारतीय शब्दावली से अपने आप को परिचित करें और इसलिए कभी-कभी आपको अपने मुहल्ले या नगर की भाषा से भिन्न कुछ शब्द सीखने होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले 'मुद्दई' और 'मुद्दालें' शब्द बहुत चलते थे । अखिल भारतीय शब्दावली में इनका स्थान 'वादी' और 'प्रतिवादी' ने ले लिया है । कारण यह था कि 'वादी' और 'प्रतिवादी' मलयालम में भी स्वीकार किए जाते हैं, तमिल में भी और कन्नड़ में भी । साथ ही ये पूर्व की असमिया, बंगला और उड़िया में भी अपनाए गए हैं । इसलिए समाचारपत्रों और आकाशवाणी में भी 'वादी', 'प्रतिवादी' का ही प्रयोग होना चाहिए। यदि हम हिन्दी-भाषी 10-20 परिचित शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्द नहीं सीख सकते तो हम एक प्रकार से राष्ट्रभाषा के प्रति अपने कर्त्तव्य से विमुख होंगे ।

मैं आशा करता हूं कि ऊपर मैंने जो छोटी-छोटी बातें रखी हैं उनकी ओर न्यायालय, अधिवक्ता, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग और समाचारपत्र तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के केन्द्र आदि ध्यान देंगे और विधि के क्षेत्र में प्राधिकृत पांठ तथा अखिल भारतीय शब्दावली का प्रयोग करके हिन्दी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे ।

विश्व हिन्दी पुरस्कार

समापन समारोह

भारत की संसद् को 1973 के मध्य में विदेश मंत्रालय से यह सूचना मिली कि इस देश के बाहर संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का पठन-पाठन चल रहा है और इसके अतिरिक्त कई ऐसे देश हैं जहां प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में तथा स्वैच्छिक संस्थाओं की ओर से हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था की गई है। इस सूचना से हिन्दी की लोकप्रियता का एक नया आयाम देश के सामने प्रकट हुआ और फिर जनवरी, 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में संसार के लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा मारीशस के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस देश का प्रतिधिमंडल आया। यहां पहली बार भारत के लोगों को हिन्दी की व्यापकता का अनुमान हुआ और यह देखने का अवसर मिला कि विश्व चेतना की अभिव्यक्ति के लिए हिन्दी भी एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकती है।

इस सम्मेलन से यह भी लगा कि विदेशों में जो हिन्दी का कार्य हो रहा है उसे विश्व स्तर पर हमें सहयोग-समर्थन देना चाहिए। इसी भावना के अनुरूप केन्द्रीय हिन्दी समिति की विदेश मंत्रालय में उपसमिति ने यह निश्चय किया कि विदेशी हिन्दी सेवी व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समिति का गठन हो और तदनुसार दिसम्बर, 1975 में तत्कालीन विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक पुरस्कार समिति का गठन किया गया। पुरस्कार समिति ने अपनी बैठक में विदेशी हिन्दी विद्वानों को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की और समिति ने यह स्वीकार किया कि विदेशों में जो लोग हिन्दी की सेवा कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाना आवश्यक है। हिन्दी हमारे देश की भाषा है और जो विदेशी नागरिक भारत के बाहर हिन्दी की सेवा कर रहे हैं उनके प्रति हमारा एक कर्त्तव्य है और यह तय हुआ कि इस पुरस्कार के लिए हम ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जिन्होंने अध्ययन-अध्यापन, लेखन, शोध या प्रचार-प्रसार अथवा किसी भी रूप में हिन्दी की सेवा की है, उनका प्रयास निश्चय ही स्तुत्य है और पुरस्कार के लिए वे सभी लोग पात्रता की परिधि में आते हैं, चाहे वे भारत के बाहर किसी भी देश में निवास करते हों। समिति ने यह निश्चय किया कि विदेशी हिन्दी सेवी व्यक्तियों का विस्तृत विवरण मंगा लिया जाए और फिर इसके सम्बन्ध में निर्णय किया जाए। सूचना एकत्र होने के बाद समिति ने यह देखा कि विदेशों में अनेक ऐसे विद्वान् हैं जो हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन कर रहे हैं, अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शोध के क्षेत्र में सुनाम अर्जित किया है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सृजनात्मक प्रतिभा मूल लेखन, अनुवाद, व्याकरण एवं कोश कार्य आदि के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है।

20 दिसम्बर, 1978 को विदेशमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में पुरस्कार समिति की बैठक हुई और विभिन्न देशों के शताधिक हिन्दी सेवी व्यक्तियों की हिन्दी सेवा के सम्बन्ध में विचार कर यह निर्णय किया गया कि इस वर्ष इन पांच व्यक्तियों —प्रो० ओदोलेन स्मैकल (चेकोस्लोवाकिया), प्रो० के० दोई (जापान), पंडित कमला प्रसाद मिश्र (फिजी), श्री सोमदत्त बखौरी (मारीशस), और प्रो० आर० एस० मैग्रेगर (यू० के०)—को विश्व हिन्दी पुरस्कार से सम्मानित किया जाए।

समिति ने यह भी निर्णय किया कि सम्मान की भावना को किसी मुद्रा की परिधि में बांधना उचित नहीं होगा अतः इन विद्वानों को अपने बीच बुलाकर उनका सम्मान कर उनकी सेवाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उन्हें एक कलात्मक कृति तथा प्रशस्ति-पत्र दें एवं उनसे अनुरोध करें कि वे भारत एवं भारतीय भाषाओं के प्रति अपनी सेवा भावना निरन्तर बनाए रखें ताकि विश्व मानव की जो एक नई चेतना संसार के कोने-कोने में परिव्याप्त हो रही है उसे सही अभिव्यक्ति मिल सके और हम "वसुधैव कुटुम्बकम्" के विचार को मूर्त रूप देने की दिशा में सचेष्ट रहें तथा संसार की तमाम भाषाओं के प्रति अपने आदर की अभिव्यक्ति के रूप में ये विद्वान हमारा श्रद्धा-भाव स्वीकार करें।

इस निर्णय के अनुसार विदेश मंत्री जी की अध्यक्षता में 2 जनवरी, 1979 को मावलंकर आडिटोरियम, नई दिल्ली में पुरस्कार समर्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में विश्व हिन्दी पुरस्कार के लिए उपर्युक्त प्रस्तावित मनीषियों को माननीय प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने पुरस्कार समर्पित कर हिन्दी को 'विश्व प्रेम की भाषा' होने का गौरव प्रदान किया।

विश्व हिन्दी पुरस्कार-1978 के समर्पण समारोह के अवसर पर लिया गया चित्र 1

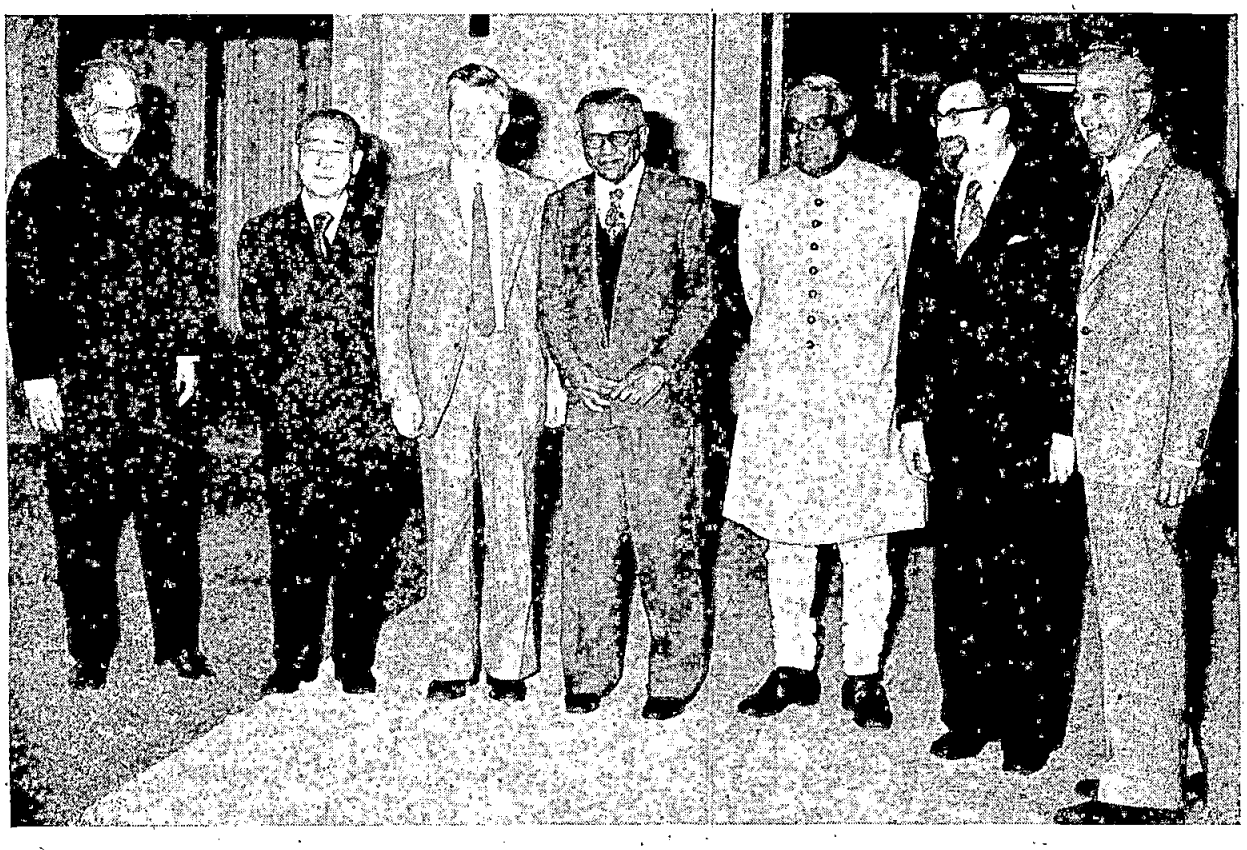

बाएं से (1) विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी (हिन्दी) श्री बच्चू प्रसाद सिंह (2) जापान के प्रोफेसर क्यूया दोई (3) यू० के० के० डा० रोनाल्ड स्टुअर्ट मैग्रेगर (4) फिजी के पं० कमला प्रसाद मिश्र (5) विदेश मंत्री तथा विश्व हिन्दी पुरस्कार समिति के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी (6) चेकोस्लोवाकिया के प्रोफेसर श्रीदोलेन स्मैकल तथा (7) मारीशस के श्री सोमदत्त बखौरी

राजभाषा के प्रांगण में इंजीनियरी के लम्बे कदम

विश्वम्भर प्रसाद गुप्त

आनरेरी तकनीकी संपादक, हिन्दी विभाग,
इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स, (इंडिया)

राजभाषा वर्ष में सरकार चाहती है कि हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक हो । सभी कार्यालयों में बहुत सा काम हिन्दी में हो रहा है । तकनीकी विभाग भी पीछे नहीं है । किन्तु कोई कोई इंजीनियर यह भी कह बैठते हैं कि उनका काम तो तकनीकी है इसमें हिन्दी का प्रयोग कैसे हो सकता है । वास्तव में उनका यह कथन जितना भ्रामक है, उतना ही निर्मूल भी है, और तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल तो है ही ।

भारतीय इंजीनियर प्राचीन काल में ही नहीं, आज भी सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं । इसका मूल भारतीय प्रतिभा की प्रौढ़ता में है । प्रौढ़ भारतीय प्रतिभा का प्रमाण प्राचीन भारतीय इंजीनियरी साहित्य है । विश्वकर्मा शिल्प शास्त्र, मानसार वास्तु शास्त्र, मयमत और और समरांगण सूत्रधार जैसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में आधुनिक नगर-नियोजन और भवन-निर्माण के बारे में भी बहुमूल्य सामग्री है । इंजीनियरी में निर्माण सम्बन्धी सभी विधाएं आ जाती हैं । शुक्राचार्य के समय में इसका विस्तार इतना व्यापक हो गया था कि इसके महाकलेवर में सभी प्रधान कलाएं समाहित हो गई थीं । इसमें सभी प्रकार के भवनों, उपभवनों, मार्गों, पुलों, नहरों आदि के निर्माण के अतिरिक्त फर्नीचर, जैसे शय्या, मंजूषा चटाई आदि यान दीप, मार्ग-दीप स्तंभ आदि की रचना और भूषण-रचना, वस्त्र-रचना भी सम्मिलित थी । मूर्ति-निर्माण-कला तो इसकी अभिन्न सहचरी थी । ये सभी कलाएं भारत में उन्नति के चरम शिखर पर थीं, इस बारे में दो मत नहीं है ।

भारतीय इंजीनियरी साहित्य प्रचुर परिमाण में मिलता है । यह सब वैदिक काल से लेकर महाकाव्य -काल तक के ग्रथों में भरा पड़ा है । इंजीनियरी से इतर ग्रंथों जैसे रामायण, कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि में तो अत्यन्त सजीव वास्तु शास्त्रीय वर्णन हैं ही, विशुद्ध इंजीनियरी ग्रंथों की भी कमी नहीं है। शिल्प-शास्त्र के ग्रंथों की रचना लगभग 15वीं सदी ईसवी तक जारी रही और न जाने कितने हजार ग्रंथ लिखे गए । विदेशी आक्रमणों के समय अनेक पुस्तकालय जला दिए गए, जिससे अधिकतर ग्रंथ नष्ट हो गए, किन्तु अब भी भारत, अमेरिका और योरप के पुस्त-कालयों में लगभग एक हज़ार (प्रकाशित और अप्रकाशित) ग्रंथ मिलते हैं । भारत एक विशाल देश है । यहां इंजीनियरी की भी उत्तरी (विश्वर्मा स्कूल—नागर शैली) और दक्षिणी (मय स्कूल—द्रविड़ शैली) दो विशिष्ट परम्पराएं रही हैं, किन्तु इन दोनों शैलियों के अपने-अपने सुंदर नमूने और विनिर्देश होते हुए भी इनका एक दूसरी पर गहरा प्रभाव रहा है, जो व्यापक राष्ट्रीय एकता का द्योतक है ।

सारा प्राचीन भारतीय वास्तु साहित्य भारतीय भाषाओं में ही, विशेषकर संस्कृत में है, जो उस समय राष्ट्रीय प्रतिभा और राष्ट्रीय एकता की चेतना वाहिका थी । संस्कृत की वही सारी संपन्नता आधुनिक भारतीय भाषाओं को उत्तरा-धिकार में मिली है । इसलिए भारतीय प्रतिभा की कुशल अभिव्यक्ति भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही हो सकती है । अतः इंजीनियरी का सारा काम राष्ट्रीय एकता की प्रतीक संस्कृत की पुत्री हिन्दी में हो, यह स्वाभाविक ही है क्योंकि जहां अन्य भाषाएं अपने-अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती रही हैं वहां हिन्दी सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है । अंग्रेजी शिक्षा के कारण अंग्रेजी की 'फूट डालो और राज्य करो' नीति को जो बल मिला, उससे भारतीय मनीषा भलीभांति परिचित थी । मौलिक प्रतिभा का लगातार ह्रास होता देखकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के रचयिताओं ने एक राजभाषा की आवश्यकता अनुभव की और सर्वसम्मति से हिन्दी को उसका स्थान दिया । यद्यपि संविधान 1950 में लागू हुआ, किन्तु राजभाषा सम्बन्धी निर्णय 1949 में ही हो चुका था ।

इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) देश भर के इंजीनियरों की राष्ट्रीय महत्व की संस्था है जिसे एक विश्व-विद्यालय का दर्जा मिला है । इसकी कौंसिल ने 1949 में ही यह अनुभव कर लिया था कि इंजीनियरों को जल्दी से जल्दी अंग्रेजी छोड़कर अपने काम में हिन्दी अपना लेनी चाहिए। फलतः इंस्टिट्यूशन के जरनल का एक भाग 1949 से ही निकलने लगा। उस समय हिन्दी विभाग के आनरेरी तकनीकी संपादक थे महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर श्री नरहरि सदाशिव जोशी । पांच साल तक उन्होंने अत्यन्त कुशलतापूर्वक इसका संपादन किया। उसके बाद पंजाब के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री ब्रजमोहन लाल ने भार संभाला और लगभग दस वर्ष के अपने संपादक-काल में हिन्दी जरनल को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की इंजीनियरी पत्रिका बना दिया । वे अब भी हिन्दी विभाग के सलाहकार हैं । हिन्दी जरनल के महत्व को देखकर कई बार विदेशी लेखकों ने भी अपने शोध-निबन्ध इसमें (हिन्दी में) प्रकाशित करने का अनुरोध किया है, जो सहर्ष स्वीकार किया गया है ।

इंस्टिट्यूशन के हिन्दी विभाग को देश भर में इंजीनियरी के उत्कृष्ट लेखक तैयार करने का श्रेय है । हिन्दी जरनल देश की एक मात्र पत्रिका है जिसमें इंजीनियरी के मौलिक शोध-निबंध प्रकाशित होते हैं । देश के अनेक विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और लेकचरर तथा अनेक गवेषणाशालाओं के निदेशक और वैज्ञानिक हिन्दी में अपने मौलिक निबंध

और शोध-पत्र जरनल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं । कहना न होगा कि जरनल के अनेक लेखकों ने बाद में अपने-अपने विषय की डिप्लोमा स्तर की और स्नातक स्तर की उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी हैं, जो सर्वत्र सराही गई हैं । डिप्लोमा स्तर तक हिन्दी माध्यम से इंजीनियरी की शिक्षा देने में भी इन विद्वान इंजीनियरों ने सफलतापूर्वक मार्ग-दर्शन किया है ।

यद्यपि अधिकांश लेखक और शिक्षक, हिन्दी भाषी और हिन्दीतर भाषा भाषी, दोनों ही इंस्टिट्यूशन के सदस्य हैं, किन्तु हिन्दी विभाग में सदस्यों और असदस्यों के बीच कोई भेद नहीं रखा जाता—केवल रचना की उत्कृष्टता पर ही विचार किया जाता है । रचनाओं के लिए किसी पारिश्रमिक की व्यवस्था न होने पर भी इतने अधिक निबंध प्राप्त होते हैं कि उच्च स्तर की अनेक मौलिक रचनाएं भी कभी-कभी साल-साल, दो-दो साल बाद ही प्रकाशित हो पाती हैं । हिन्दी जरनल में सिविल, मेकैनिकल, इलक्ट्रिकल इलेक्ट्रानिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, रसायन एवं सामान्य इंजीनियरी आदि इंजीनियरी की सभी शाखाओं के मौलिक निबंध हिन्दी में प्रकाशित होते हैं । इसकी 10,000 प्रतियां प्रति चार मास बाद छपती हैं, जो इंजीनियरों में इसकी लोकप्रियता का प्रमाण हैं । अभी दिसम्बर, 1978 में हिन्दी जरनल का एक विशेषांक निकला था जिसमें रुड़की में अप्रैल, 1978 में हुई इंजीनियरों की अखिल भारतीय संगोष्ठी में प्रस्तुत निबंध प्रकाशित हुए हैं । बड़े साइज़ के 108 पृष्ठों के इस विशेषांक का 25-1-79 को विमोचन करते हुए केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री माननीय श्री आरिफ बेग ने जहां इंजीनियरी संगोष्ठी की पूरी कार्यवाही हिन्दी में ही करने के लिए इंजीनियरों की भूरि-भूरि प्रशंसा की, वहां राजभाषा के प्रांगण में इंस्टिट्यूशन के बढ़ते चरणों की मुक्त कण्ठ से सराहना की ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही इंस्टिट्यूशन ने इंजीनियरी की पारिभाषिक शब्दावली तैयार करनी आरंभ कर दी थी । अंग्रेजी जरनलों में ही वह थोड़ी-थोड़ी प्रकाशित होती रहती थी जिस पर पाठक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे और उनकी सम्मतियों पर विचार करके आवश्यक संशोधन किए जाते थे । इंजीनियरी की अनेक शाखाओं के कई हज़ार पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय इस प्रकार तैयार करके एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई थी । इंस्टिट्यूशन के इन प्रयासों से प्राप्त अनुभव का लाभ उठाने के लिए बाद में भारत सरकार ने इंस्टिट्यूशन के हिन्दी विभाग के सलाहकार को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में पारिभाषिक शब्दों के लिए बनी सिविल इंजीनियरी की विशेषज्ञ समिति का संजोजक बनाया, जिनके मार्ग-दर्शन में सारा काम पूरा हुआ । केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय एवं वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार शब्दावली इंस्टिट्यूशन की हिन्दी जरनलों में बराबर प्रकाशित होती रहती थी जिस पर पाठकों के विचार आमंत्रित किए जाते थे और फिर उन पर विचार करके आवश्यक संशोधन किए जाते थे ।

आज जब इंजीनियरी की लगभग सारी शब्दावली तैयार हो चुकी है, इंस्टिट्यूशन को गर्व है कि उसके कर्णधार नींव के पत्थरों की भांति मौलिक कार्य करते हुए राजभाषा के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करने में अग्रणी रहे हैं । इंजीनियरों का राजभाषा प्रेम जो राष्ट्र प्रेम का पर्याय है, सदा सभी के लिए अनुकरणीय रहा है, और यह कहना कि तकनीकी काम हिन्दी में नहीं हो सकता, केवल कुछ अवसरवादियों का मिथ्या प्रचार ही है । इंस्टिट्यूशन के हिन्दी विभाग की तीन दशाब्दियों की उपलब्धियों से यह स्पष्ट है कि हिन्दी में गंभीर से गंभीर विचारों को पर्याप्त सूक्ष्मता, अपेक्षित यथार्थता, आश्चर्यजनक सरलता और अत्यंत स्वाभाविकता से व्यक्त करने की पूरी सामर्थ्य है ।

इंस्टिट्यूशन स्नातक स्तर की परीक्षाएं भी लेता है और सफल स्नातकों को उपाधि देता है । इसके लगभग 50,000 छात्र इंजीनियरी स्नातक की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं । हमारे वरिष्ठ अधिकारी और कौंसिल के सदस्य परीक्षा के माध्यम सम्बन्धी छात्रों की कठिनाई भली भांति समझते हैं । सन् 1963 में इंस्टिट्यूशन के पंजाब राज्य केन्द्र के अध्यक्ष सरदार तारा सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था — "विद्यार्थियों की कठिनाइयां तीन हैं : एक तो वे अंग्रेजी में विषय समझ नहीं पाते, अतः कक्षा में लेक्चर सुनने में उनकी रुचि नहीं होती, दूसरे वे अंग्रेजी पुस्तकों से थोड़ा-बहुत समझ भी लेते हैं तो अधिकांश उन्हें रटना ही पड़ता है, और तीसरे, जो कुछ वे समझते भी हैं, उसे अंग्रेजी में ठीक ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, फलतः परीक्षाओं में उनके उत्तर संतोषप्रद नहीं होते ।" संविधान में अंग्रेजी के लिए दी हुई छूट के पन्द्रह साल बीतते ही सन् 1965 में सरकार द्वारा गठित शिक्षा आयोग के एक सदस्य, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और इंस्टिट्यूशन के तत्कालीन अध्यक्ष डा० त्रिगुण सेन की अध्यक्षता में 'तकनीकी शिक्षा और उसका विकास (1966-81) विषय पर एक पांच दिवसीय संगोष्ठी हुई थी जिसकी 27 अध्यायों की सर्वांगीण रिपोर्ट सरकार को देते हुए इंस्टिट्यूशन ने इंजीनियरी शिक्षा का माध्यम अपनी भाषा कर देने की सिफारिश की थी । इंजीनियरों की ही एक अन्य संगोष्ठी 1967 में इलाहाबाद में हुई थी, उसमें भी यही सिफारिश की गई थी ।

अब राजभाषा वर्ष में सभी शिक्षण-संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाए हिन्दी कर दें । डिप्लोमा स्तर तक की शिक्षा तो हिन्दी माध्यम से बहुत सी संस्थाओं में दी जा रही है । स्नातक स्तर तक की शिक्षा का माध्यम भी अब हिन्दी हो जाना चाहिए । भारतीय प्रतिभा का विकास भारतीय भाषा के ही माध्यम से हो सकता है, विदेशी भाषा से तो प्रतिभा कुंठित ही होगी और देश मौलिक चिंतन में बौना रह जाएगा । इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) अपनी परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की छूट देकर इस मामले में भी पहल कर सकता है ।

पर्यटन विभाग में हिन्दी

राजकुमार सैनी हिन्दी अधिकारी,
पर्यटन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली

पर्यटन विभाग का यह सतत प्रयास रहा है कि सरकारी कामकाज के सभी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग होने लगे और साथ ही राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 और गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रभावी प्रयोग के संबंध में समय समय पर जारी किए जाने वाले अन्य विविध अनुदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन हो सके।

पर्यटन विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति इस प्रकार है :—

1. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपबंधों का अनुपालन :

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 की प्रतियां मुख्यालय में सभी अधिकारियों, गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना, और भारत स्थित पर्यटक कार्यालयों को सूचना, मार्गदर्शन तथा पूर्ण अनुपालन के लिए भिजवाई गई थीं। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे इन नियमों को अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों की जानकारी में लाएं और इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट भी भिजवाएं। जैसा कि इन नियमों के अंतर्गत व्यवस्था है, विभाग में सभी कर्मचारियों से हिन्दी में प्रवीणता/हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान के बारे में आवश्यक घोषणाएं प्राप्त की गई थीं और इस विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में, विभाग के सभी प्रभागों के प्रतिनिधियों के समक्ष इन नियमों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि इन नियमों का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन होना चाहिए। वर्ष 1978 के दौरान एक बार फिर राजभाषा नियम, 1976 का सारांश सभी प्रभागों पर्यटक कार्यालयों को सूचना और अनुपालन के लिए भिजवाया गया।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 9 और 10 के अधीन प्राप्त की गई घोषणाओं के अनुसार मुख्यालय में हिन्दी में प्रवीणता और हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति नीचे दी गई है :

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	जोड़
(1) कर्मचारियों की संख्या	18	61	92	171
(2) उन कर्मचारियों की संख्या जिनको हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है	10	29	27	66
(3) हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों की संख्या	4	25	66	95
(4) उन कर्मचारियों की संख्या जो अभी प्रशिक्षित किए जाने हैं	4	4	2	10

उक्त तालिका से स्पष्ट होगा कि विभाग में लगभग 90 प्रतिशत अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान रखते हैं।

2. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति :

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरवरी, 1972 में गठित की गई थी। तभी से, विभाग में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए समिति की निरन्तर बैठकें होती रही हैं। समिति की सिफारिशों पर तेजी के साथ कार्रवाई की जाती हैं और अगली बैठक में पिछली बैठक में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। अब तक समिति की 15 बैठकें हो चुकी हैं।

3. सामान्य आदेशों का द्विभाषिक रूप में जारी किया जाना :

यह सुनिश्चित किया गया है कि 'सामान्य आदेशों आदि की श्रेणी में आने वाले सभी कागज-पत्र दोनों भाषाओं अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी किए जाएं। इसके लिए मुख्यालय में डिस्पैच सैल को "चैक प्वाइंट" के रूप में कार्य करने का काम दिया गया है। इस संबंध में चूक होने पर संबंधित अधिकारियों/प्रभागों को इन चूकों से अवगत कराया जाता है। इस संबंध में उनका ध्यान विद्यमान अनुदेशों विशेषतः राजभाषा नियम, 1976 के उपबन्धों की ओर आकर्षित करते हुए स्थिति में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं।

4. विभिन्न दस्तावेजों का दोनों भाषाओं अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी किया जाना :

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन करते हुए सभी अधिसूचनाएं संकल्प, प्रेस नोट संसद प्रश्नों के उत्तर, सामान्य आदेश, संसद आश्वासन आदि और अन्य विनिर्दिष्ट दस्तावेज, द्विभाषी रूप में (अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) एक साथ जारी किये जा रहे हैं। यदि इस संबंध में कोई ऐसे मामले पाए जाते हैं जहां उन्हें केवल अंग्रेजी में जारी किया गया हो तो ऐसे मामलों के संबंध में कार्रवाई करके विद्यमान अनुदेशों के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाए किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान 200 से भी अधिक सामान्य आदेश और 25 अधिसूचनाएं अंग्रेजी और हिन्दी में साथ साथ जारी की गईं। इस संबंध में जनवरी, 1978 से जून, 1978 तक के दौरान द्विभाषिक रूप से जारी किए गए पत्रादि की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है :—

1. संकल्प/अधिसूचनाएं	29
2. प्रेस विज्ञप्तियां रिलीजें, विज्ञापन आदि	शून्य
3. प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें	20
4. सामान्य आदेश	79
5. संसद के एक सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी कागज-पत्र	71
6. संविदाएं करार, लाइसेंस, परमिट नोटिस तथा टेंडरों के फार्म	शून्य

5. हिंदी में पत्र व्यवहार :

विभाग में जनता, सरकारी कार्यालयों अथवा अन्य स्त्रोतों से हिन्दी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों आदि का उत्तर जरूरी तौर पर हिन्दी में ही दिया जाता है। चतुर्थ श्रेणी (अब ग्रुप घ) के साथ भी सभी पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाता है। इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी (अब ग्रुप ग व घ) के कर्मचारियों की सर्विस-बुकों में प्रविष्टियां हिन्दी में ही दर्ज की जाएं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप ग व घ) के कर्मचारियों की सर्विस बुकों में अधिकांश प्रविष्टियां अब हिन्दी में ही दर्ज की जा रही है। यह भी अनुदेश जारी किए जा रहे हैं कि तृतीय श्रेणी (अब ग्रुप ग) के कर्मचारियों के संबंध में सभी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में हिन्दी का इस्तेमाल किया जाए। विभाग (मुख्यालय) में छुट्टी प्रदान करने/ट्रांसफर आदि से संबंधित लगभग 50 प्रतिशत प्रशासनिक आदेश हिन्दी में ही जारी किये जा रहे हैं।

राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित अन्य अनुदेशों की जानकारी देने के लिए मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों में और भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, नई दिल्ली में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की विभागीय बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में, अधिकारियों तथा कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे कम से कम अपनी कुछ फाइलों में छोटी छोटी टिप्पणियाँ और मसौदे हिन्दी में लिखना शुरू करें। फलस्वरूप कुछ अधिकारियों ने अपना कुछ रूटीन प्रकार का काम हिन्दी में करना प्रारम्भ कर दिया है।

6. मानक फार्मों/मसौदों का हिन्दी अनुवाद :

सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने के उद्देश्य से 96 विभागीय मानक फार्मों/मसोदों का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है और द्विभाषी रूप में उनकी साइक्लोस्टाइल की गई प्रतियाँ सभी अनुभागों और पर्यटक कार्यालयों को दैनिक प्रयोग के लिए भेजी गई हैं।

7. हिन्दी में पर्यटक सामग्री का प्रकाशन और वितरण :

पर्यटन विभाग में पर्यटक साहित्य विदेशों में परिचालित करने के उद्देश्य से अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन स्पेनिश, इतालवी, जापानी, थाई, अरबी तथा चीनी आदि भाषाओं में तैयार किया जाता है, तथापि देश के भीतर वितरित करने के लिये निम्नलिखित पर्यटक साहित्य हिन्दी में भी तैयार कराए गए हैं :

1. भारत दिल्ली
2. भारत
3. घूमिये मद्रास और दक्षिण भारत
4. घूमिये बम्बई और पश्चिमी भारत
5. घूमिये कलकत्ता और पूर्व भारत
6. घूमिये दिल्ली
7. भारत एशिया-72

मौजूदा प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षिण भारत पर एक क्षेत्रीय फोल्डर प्रकाशित करने की योजना है। निकट भविष्य में यह ब्रोशर देश के विभिन्न भागों में स्थित भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों द्वारा व्यापक वितरण के लिए उपलब्ध हो सकेगा। वित्तीय वर्ष 1977-78 से विभाग द्वारा प्रकाशित सभी सचित्र पोस्टरों के शीर्षक द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी) में होते हैं।

इसके अतिरिक्त 'परिरक्षण अभियान' के अन्तर्गत हिन्दी में 18 विज्ञापन समाचार पत्रों आदि को रिलीज किए गए और इसके अतिरिक्त 4 अन्य हिन्दी विज्ञापन हिन्दी पत्रिकाओं को रीलीज किए गए। वर्ष 1977-78 के प्रारम्भ से ही निम्नलिखित विभागीय प्रकाशन अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी तैयार कराकर वितरित किये जाते हैं।

1. प्रबन्ध सूचना
2. संवाद-पत्र
3. भारत में पर्यटक आगमन आंकड़ें (मासिक, त्रैमासिक)
4. पर्यटक आगमन वार्षिक आँकड़ों का विवरण

8. विभागीय परीक्षा के लिए वैकल्पिक प्रयोग :

अवर श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर पदोन्नति के लिए 13-6-1976 को विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दी गई। 3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया।

9. हिन्दी में सहायक साहित्य :

(i) प्रशासनिक शब्द सूची

उपलब्ध सामग्री के आधार पर विभाग में दैनिक प्रयोग के प्रशासनिक शब्दों की एक शब्दावली भी तैयार की गई और उसकी साइक्लोस्टाइल की गई प्रतियाँ सभी प्रभागों और भारत स्थित पर्यटक कार्यालयों को परिचालित की गई। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा प्रकाशित "कार्यालय सहायिका" की 100 प्रतियां खरीदी गई थी जिसकी एक एक प्रति विभाग के सभी अधिकारियों/सहायकों आदि को दे दी गई है ताकि उन्हें हिन्दी में कार्य करने में कुछ मदद मिल सके।

(ii) हिन्दी पुस्तकों/शब्दकोषों आदि की खरीद

विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रयोग के लिए हिन्दी की पुस्तकें/शब्दकोश आदि पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। 1976-77 में 826.87 रु० मूल्य की और 1977-78 में 1582.60 रु० मूल्य की हिन्दी पुस्तकें/शब्दकोश खरीदे गए। वर्ष 1979-80 के लिए हिन्दी पुस्तकों/शब्दकोशों आदि की खरीद के लिए 3000 रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है।

10. हिन्दी प्रशिक्षण :

(i) भाषा प्रशिक्षण

विभाग के तृतीय और उनसे ऊपर की श्रेणियों के 171 कर्मचारियों/अधिकारियों में से 134 कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी में अपेक्षित स्तर की योग्यता रखते हैं। शेष 37 कर्मचारियों अधिकारियों में से 27 कर्मचारी/अधिकारी निर्धारित स्तर का हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिन में वे 8 अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्होंने केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पास किया है। जुलाई, 1978 से शुरू होने वाले 30वें पाठ्यक्रम के लिए दो कर्मचारी नामित किये जा रहे हैं। शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को भी हिन्दी में प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) हिन्दी स्टेनोग्राफी और हिन्दी टाईपिंग प्रशिक्षण

सभी अवर श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों को क्रमश हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास जारी है। इस प्रायोजन के लिए विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वरिष्ठता के आधार पर सभी अप्रशिक्षित कर्मचारियों को बारी बारी से प्रशिक्षण के लिए भिजवाया जाए और उसके लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाए ताकि सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके।

इस संबंध में नीचे तीन तालिकाएं दी गई हैं जिनमें विभाग के संबंध में हिन्दी भाषा/हिन्दी स्टेनोग्राफी और हिन्दी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षित अधिकारियों कर्मचारियों की अद्यतन स्थितियां दिखाई गई है :—

1. हिन्दी भाषा :

तृतीय श्रेणी और उससे ऊपर की श्रेणियों के कर्मचारियों अधिकारियों की कुल संख्या	उन कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या जो अपेक्षित स्तर का हिन्दी ज्ञान रखते हैं या जिन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन निर्धारित स्तर की हिन्दी परीक्षा पास कर ली है
171	161

जो इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं	शेष
3	7

2. हिन्दी टाईपिंग

अवर श्रेणी लिपिकों टाइपिस्टों की कुल संख्या	हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षित या हिन्दी टाईपिंग जानने वाले लिपिकों की संख्या	शेष जिन्हें अभी प्रशिक्षित किया जाना है	इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या
39	61	28	1

3. हिन्दी आशुलिपिक

आशुलिपिकों की संख्या	हिन्दी आशु-लिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिकों की संख्या	शेष जिन्हें अभी प्रशिक्षित किया जाना है	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आशु-लिपिकों की संख्या
34	6	28	1

11. हिन्दी टाइपराइटर :

(i) मुख्यालय

गत वर्ष विभाग (मुख्यालय) में प्रयोग के लिए एक और हिन्दी टाइपराइटर खरीदा गया। अब मुख्यालय में 4 हिन्दी टाइपराइटर हैं। एक हिन्दी टाइपराइटर हिन्दी आशु-लिपि/हिन्दी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षित सभी आशुलिपिकों अवर श्रेणी लिपिकों के प्रयोग के लिए ट्रान्सपोर्ट भवन में रखवा दिया गया है। उक्त टाइपराइटर पर जो भी हिन्दी टाईपिंग का काम किया जाता है उसका रिकार्ड रखने के उद्देश्य से टाइपराइटर के साथ एक रजिस्टर भी रखवा दिया गया है। पांच और हिन्दी टाइपराइटर खरीदने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

(ii) भारत स्थित पर्यटक कार्यालय :

नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, आगरा, जयपुर, वाराणसी और खजुराहों स्थित पर्यटक कार्यालयों में एक एक हिन्दी टाइप-राइटर खरीदा जा चुका है। मद्रास और औरंगाबाद में अभी हिन्दी टाइपराइटर खरीदे जा रहे हैं। जम्मू और कोचीन स्थित कार्यालयों में अभी हिन्दी टाइपराइटर नहीं खरीदे गए। इस संबंध में स्थिति पर विचार किया जा रहा है।

(iii) विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय :

विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद की उपयोगिता के बारे में सभी कार्यालयों से परामर्श किया जा रहा है।

12. अतिरिक्त हिन्दी पदों का सृजन और नियुक्तियाँ :

वर्ष 1974 के अन्त तक विभाग में केवल एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और एक हिन्दी टाइपिस्ट था। हिन्दी के बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए तथा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में विद्यमान अनुदेशों को प्रभावी रूप में अमल में लाने के लिए अतिरिक्त हिन्दी कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए। तदनुसार वर्ष 1975 में विभाग में एक हिन्दी अनुभाग स्थापित हुआ। अब विभाग के हिन्दी अनुभाग में एक हिन्दी अधिकारी, एक हिन्दी अनुवादक (ग्रेड–I) एक हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-II) और दो अवर श्रेणी लिपिक (हिन्दी) हैं।

हिन्दी के बढ़ते हुए काम को पूरा करने के लिए विभाग में कुछ और पदों के सृजन का प्रस्ताव है। भारत के पर्यटक कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग और प्रसार में प्रगति लाने के उद्देश्य से फिलहाल यह प्रस्ताव है कि नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालयों में एक-एक हिन्दी एकक स्थापित किया जाए जिसमें कम से कम एक हिन्दी अधिकारी, एक हिन्दी अनुवादक और एक हिन्दी टाइपिस्ट जरूर हों।

13. पर्यटन शब्दावली :

विभाग में पर्यटन के विषय से संबंधित शब्दों का एक संग्रह भी तैयार किया जा रहा है। लगभग 1000 शब्द संकलित किए जा चुके हैं और उनके हिन्दी पर्याय भी निर्धारित किए जा चुके हैं। इस प्रकार की शब्दावली तैयार कराने का उद्देश्य यह है कि पर्यटन के संबंध में हिन्दी में सरल तथा समरूपात्मक शब्दावली उपलब्ध हो जाए। इसके दो लाभ होंगे—एक तो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में पर्यटन संबंधी कार्य करने में सहायता मिलेगी। दूसरे देश भर में पर्यटन और तत्संबंधी साहित्य में रुचि रखने वाले बुद्धिजीवियों तथा स्वदेशी पर्यटकों के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

14. विविध :

(i) विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले लगभग सभी निमन्त्रण पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में जारी किये जाते हैं।

(ii) विभाग में लगभग सभी लैटर हैड, नाम पट और नाम पट्टिकाएं द्विभाषिक रूप में हैं।

(iii) विभाग की लगभग सभी रबर-स्टैम्पें द्विभाषिक रूप में हैं। अपवाद स्वरूप केवल वे रबर- स्टैम्पें अंग्रेजी में हैं जो पहले की तैयार की गई है। जो भी नई रबर-स्टैम्पें तैयार कराई जाती हैं वे द्विभाषिक रूप में ही तैयार कराई जाती हैं।

राजभाषा विभाग की 1978 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. राजभाषाओं का विकास :

संघ और राज्य सरकारों के सरकारी कामकाज में क्षेत्रीय भाषाओं एवं हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास हो, इस उद्देश्य से उन्हें जागरूक करने के लिए मार्च, 1978 में दिल्ली में राजभाषाओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था इसमें संघ सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने भी भाग लिया । इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई सिफारिशें की गई। एक मुख्य सिफारिश यह थी कि आगामी वर्ष को "राजभाषाओं का वर्ष" के रूप में मनाया जाए । सरकार ने इस सिफारिश पर विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया है कि वर्ष 1979 को "राजभाषाओं का वर्ष " के रूप में मनाया जाए और केन्द्र में हिन्दी और राज्यों में उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकाधिक प्रयोग पर इस वर्ष के दौरान यथोचित और यथासंभव बल दिया जाए ।

2. हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन :

यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियां बनाई जाएं जिनका जनता के साथ अधिक संपर्क होता है । अब तक 19 मंत्रालयों में ऐसी सलाहकार समितियों का गठन अथवा पुनर्गठन किया जा चुका है और इनकी बैठकें की जा रही हैं ।

3. राजभाषा नियमों के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को अधिसूचित करना :

राजभाषा नियमों के नियम 10 के अंतर्गत जिस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में अस्सी प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो, उसे सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाना चाहिए । 31 दिसम्बर, 1978 तक 35 मंत्रालयों/विभागों तथा 475 से अधिक कार्यालयों को इस नियम के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। ऐसी अधिसूचना के पश्चात् इन नियमों के नियम 8 के अंतर्गत ऐसे कार्यालयों के उन कर्मचारियों को निर्दिष्ट कामों के लिए हिन्दी के प्रयोग के आदेश दिए जा सकते हैं जो हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर चुके हों। ऐसे आदेश अभी तक केवल एक कार्यालय में दिए गए हैं ।

4. यांत्रिक सुविधाओं की व्यवस्था :

देवनागरी टाइपराइटरों की पूर्ति की व्यवस्था की जा रही है । ऐसे टाइपराइटरों के निर्माताओं से अनुरोध किया गया है कि देवनागरी टाइपराइटरों की मांग आने पर उसकी शीघ्र पूर्ति की जाए । देवनागरी टाइपराइटरों के की बोर्ड में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं । सार्वजनिक क्षेत्र में देवनागरी टाइपराइटरों के निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है ।

औद्योगिक विकास विभाग ने यह सूचित किया है कि देवनागरी टाइपराइटरों की मांग को देखते हुए इनके निर्माण की स्थिति काफी अच्छी है ।

5. सरल हिन्दी का प्रयोग :

राजभाषा विभाग की वर्तमान नीति यह है कि सरकारी कामकाज में बोझिल और अटपटी हिन्दी की बजाय सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजभाषा विभाग की तरफ से आवश्यक परिपत्र की पर्याप्त प्रतियां छपवा कर वितरित की गई हैं और समय समय पर आयोजित बैठकों में भी सरल हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है ।

6. सरकारी उपक्रमों का राजभाषा सम्मेलन :

अगस्त, 1978 में सरकार के उपक्रमों, निगमों आदि का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया । इस सम्मेलन में उपक्रमों आदि के पिछले सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की कारवाई की समीक्षा की गई और आगे हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विचार-विमर्श हुआ । इस सम्मेलन में इस बात पर भी बल दिया गया कि सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का ही प्रयोग किया जाए ।

7. नेमी कार्यालय टिप्पणियों का प्रकाशन :

फ़ाइलों पर हिन्दी में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखने में अहिन्दी भाषी अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता के लिए लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा तैयार की गई "नेमी कार्यालय टिप्पणियाँ" नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई और इसकी अपेक्षित प्रतियाँ सभी मंत्रालयों/विभागों में वितरित की गईं । इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसका दूसरा भाग भी तैयार किया गया है और उसे छपने के लिए प्रेस भेज दिया गया है ।

8. हिन्दी प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त प्राध्यापकों की नियुक्ति :

स्वायत शासी संगठनों, सांविधिक निकायों और सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए भी हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है । इस कार्य के लिए हिन्दी प्राध्यापकों के 20 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है और शीघ्र ही इन पर नियुक्तियाँ करने का प्रयास किया जा रहा है ।

[शेष पृष्ठ 33 पर]

हिन्दी में विधि साहित्य का प्रकाशन

केन्द्रीय विधि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिश पर यह निश्चय किया गया कि विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित दो स्कीमों को क्रियान्वित किया जाए :—

(1) हिन्दी में विधि पत्रिकाओं का प्रकाशन

(2) हिन्दी में विधि पाठ्य-पुस्तकों की रचना ।

हिन्दी में विधि पत्रिकाओं का प्रकाशन :

(1) विधि साहित्य प्रकाशन "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका", नामों से हिन्दी में दो मासिक पत्रिकाएं निकालता है, जिसमें क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय निर्णय होते हैं । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले अप्रैल, 1968 में किया गया और इस समय यह 450 पृष्ठ की है तथा उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका का प्रकाशन जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया और इस समय यह 600 पृष्ठ की है । ये दोनों पत्रिकाएं समूल्य प्रकाशन हैं ।

(2) "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" में एक वर्ष के दौरान प्रकाशित मामलों की एक वार्षिक अनुक्रमणिका प्रकाशित की जाती है ।

(3) "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" में प्रकाशित मामलों का एक सप्तवर्षीय निर्णयसार (1969—75) प्रकाशित कर दिया गया है ।

(4) प्रकाशन ने 1 अक्तूबर, 1976 से केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषीय संस्करणों के विक्रय का काम, विक्रय के अतिरिक्त माध्यम के रूप में, अपने हाथ में ले लिया है । इसके पूर्व यह विक्रय कार्य प्रकाशन नियंत्रक, निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा ही किया जाता था ।

हिन्दी में विधि पुस्तकों की रचना :

विश्वविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य-पुस्तकों और वकालत करने वाले वकीलों के लिए निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए हिन्दी में मानक विधि पुस्तकों की रचना की स्कीम के तीन भाग हैं :

(क) लेखकों को हिन्दी में मौलिक विधि पाठ्य पुस्तकें और निदर्शक मामलों पर हिन्दी में पुस्तकें लिखने का विशेष कार्य सौंपना ;

(ख) उन पुस्तकों के हिन्दी अनुवादों का प्रकाशन जिनको गौरव ग्रंथों का स्थान प्राप्त हो चुका है ; और

(ग) प्राइवेट तौर से हिन्दी में लिखित या प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों के लिए पुरस्कार प्रदान करना ।

मूल्यांकन समिति :

हिन्दी में विधि पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में सलाह देने के लिए एक मूल्यांकन समिति इस विभाग में कार्य करती है, समिति का कार्य लेखकों और अनुवादकों के चयन के बारे में सिफारिशें करना और लेखकों द्वारा लिखी गई पाण्डुलिपियों का मूल्यांकन करना है । जब कभी आवश्यक होता है, बाहरी विशेषज्ञों को इस प्रयोजन के लिए सहयोजित किया जाता है । पुरस्कार दिए जाने की स्कीम के अधीन प्राप्त पुस्तकों/पाण्डुलिपियों का मूल्यांकन, समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है और यह समिति उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने के लिए सरकार को सिफारिशें करती है ।

हिन्दी में मौलिक विधि पुस्तकों का लेखन :

निम्नलिखित छह पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं । ये पुस्तकें जिन लेखकों द्वारा मूल रूप से लिखी गई है उनके नाम उनके सामने लिखे हैं :—

1. प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय विधि	डा० पारस दीवान
2. साक्ष्य की विधि	श्री रेवाशंकर गोविन्द राम त्रिवेदी
3. उत्तर प्रदेश भूधृति विधि	श्री उमेश कुमार
4. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882.	श्री विश्वमित्र शुक्ल
5. अपकृत्य विधि	श्री शर्मन लाल अग्रवाल
6. आयकर विधि	श्री नाथू लाल जैन

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, मध्य प्रदेश भूविधि, दण्ड विधि, कंपनी विधि, श्रम विधि दण्ड प्रक्रिया संहिता, हिन्दू विधि सिद्धांत और निर्णय लेखन के विषयों पर हिन्दी की आठ अन्य पुस्तकों का अनुमोदन सरकार ने कर दिया है और इस समय इनका संपादन मुद्रण हो रहा है । आशा है कि ये पुस्तकें शीघ्र ही प्रकाशित होंगी और विक्रय के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, कुछ अन्य पुस्तकें लेखकों द्वारा लेखन के विभिन्न क्रमों में हैं ।

निदर्शक निर्णयों के विषय में पुस्तकों का लेखन :

निदर्शक निर्णयों के विषय में हिन्दी में लेखन के लिए चुनी गई 15 पुस्तकों में से 5 पुस्तकें सरकार द्वारा चुने गए लेखकों द्वारा लिखी जा रही हैं ।

विधि के गौरव ग्रन्थों का अनुवाद :

हिन्दी में अनुवाद के लिए 14 पुस्तकों के संबंध में अनुवाद अधिकार प्राप्त कर लिए गए हैं और दो पुस्तकें सर हेनरी मेन लिखित "एन्शण्ट ला" और डा० पारिख

द्वारा लिखित "मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस" का अनुवाद तैयार हो गया है । पांच पुस्तकों का अनुवाद किया जा रहा है ।

पुरस्कार की स्कीम :

इस स्कीम में, विधि की दस शाखाओं में से प्रत्येक शाखा के लिए हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्तम विधि पुस्तक को 10,000 रु० का पुरस्कार देने की व्यवस्था है । विधि की प्रत्येक शाखा में कुल मिलाकर 5,000 रु० तक के सांत्वना पुरस्कार दिए जा सकते हैं । पुरस्कारों के लिए केवल उन्हीं पुस्तकों पर विचार किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी ऐसी संस्था की, जिसे सरकार से सहायता मिलती है, सहायता के बिना लिखी प्रकाशित की गई है ।

वर्ष 1971 से 1976 तक की अवधि में लिखित प्रकाशित की गई और पुरस्कार स्कीम के अधीन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई पुस्तकों पर विचार किया गया और उन्हें पुरस्कार दिया गया । आम तौर पर ये पुरस्कार विजेताओं को विशेष रूप से आयोजित समारोहों में दिए जाते हैं ।

वर्ष 1977 के दौरान लिखित प्रकाशित और पुरस्कार स्कीम के अधीन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई पुस्तकों पर विचार किया जा रहा है ।

विधि साहित्य समाचार :

1 जनवरी, 1976 से प्रकाशित हो रही पत्रिका 'विधि साहित्य समाचार' में प्रकाशन के क्रियाकलाप प्रचारित किए जाते हैं । इस पत्रिका का उद्देश्य हिन्दी में विधि पुस्तकों के संबंध में नवीनतम सूचना प्रकाशित करना है । इसमें विधि विषयों पर हिन्दी में लेख भी प्रकाशित होते हैं । इसमें हिन्दी में विधि पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के लिए विधि मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई स्कीम और हिन्दी में विधि पुस्तकों पर पुरस्कार देने की स्कीम से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप की जानकारी भी दी जाती है । इस पत्रिका का नाममात्र का वार्षिक चन्दा एक रुपया है ।

विक्रय संवर्धन :

इस प्रकाशन के विभिन्न क्रियाकलाप का प्रचार चल-विक्रय प्रतिनिधियों की मार्फत प्रमुख समाचार पत्रों में, सीधे डाक द्वारा और महत्वपूर्ण विधि सम्मेलनों में प्रकाशनों की प्रदर्शनी और उनके विक्रय द्वारा किया जाता है । कुछ समय से प्रकाशन ने हिन्दी भाषी राज्यों की राजधानियों में और महत्वपूर्ण शहरों में विधि साहित्य सम्मेलन और प्रदर्शनियों का आयोजन करना भी आरम्भ कर दिया है । इस प्रकार के पहले सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में अक्तूबर, 1976 में किया गया था । दूसरा सम्मेलन वर्ष 1978 में आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 1978–79 के लिए कार्यक्रम :

(1) मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखना : हिन्दी में चार और पुस्तकें मुद्रण और विक्रय के लिए तैयार हो जाएँगी ।

(2) विधि के गौरव ग्रंथों का अनुवाद : आशा है कि दो या तीन पुस्तकें प्रकाशित हो जाएँगी और उनका विक्रय आरम्भ हो जाएगा ।

[पृष्ठ 31 का शेष]

9. संसदीय राजभाषा समिति :

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन संसद के 30 सदस्यों की एक समिति 1976 से काम कर रही है । इसका 1977 में पुनर्गठन किया गया है । इस समिति का उद्देश्य संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में प्रगति की समीक्षा करना है । इस समीक्षा के पश्चात् यह समिति राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । इस समिति ने अपनी तीन उपसमितियाँ बनाई हैं जो विभिन्न मंत्रालयों विभागों कार्यालयों का निरीक्षण कर रही है । सन् 1978 में इन तीनों उपसमितियों ने केन्द्रीय सरकार के 316 कार्यालयों उपक्रमों आदि का दौरा किया ।

10. मैनुअलों/फार्मों आदि का हिन्दी अनुवाद :

गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में असंविधिक मैनुअलों फार्मों आदि का हिन्दी अनुवाद तैयार किया जाता है । पिछले वर्षों में ब्यूरो प्रति वर्ष 30,000 मानक पृष्ठों का अनुवाद करता रहा है । स्टाफ की कमी के बावजूद इस वर्ष भी ब्यूरो अपना लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है ।

11. हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में संविधान का प्राधिकृत अनुवाद उपलब्ध कराना :

केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार संविधान के वर्तमान हिन्दी रूपांतर को उसका प्राधिकृत अनुवाद मानने और अन्य भारतीय भाषाओं में उसका प्राधिकृत अनुवाद उपलब्ध कराने से संबंधित विधेयक को शीतकालीन सत्र में राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है । अब इसे लोक सभा में प्रस्तुत किया जाएगा ।

12. केन्द्रीय सरकार के उप सचिव तथा अन्य उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना :

केन्द्रीय हिन्दी समिति का उपर्युक्त निर्णय सभी मंत्रालयों और विभागों के ध्यान में लाया गया है और उनसे कहा गया है कि निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाए । सभी मंत्रालयों तथा विभागों में इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का विवरण

29 अगस्त, 1978 को प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक हुई जिसमें गृह राज्य मंत्री श्री एस० डी० पाटिल, श्री गंगा-शरण सिंह, डा० मलिक मोहम्मद, श्री विष्णु कांत शास्त्री, श्री हिमांशु जोशी तथा श्री चन्द्रकांत केणि के अतिरिक्त गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और राजभाषा विभाग के 21 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में गृह मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में कई सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए। उनके विचार सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना कामकाज अंग्रेजी या हिन्दी में करने की आजादी है। इसमें न तो किसी को हिन्दी में काम करने से निरुत्साहित किया जाता है, न ही किसी को बाध्य किया जाता है। हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे अपनी स्वाभाविक गति से बढ़ ही रहा है।

हिन्दी टाइप राइटिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण की व्यवस्था :

डा० मलिक मोहम्मद ने कहा कि दक्षिण में हिन्दी टाइपराइटिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखने के लिए अधिक केन्द्र खोले जाने चाहिए। अगर 20-30 कर्मचारी भी तैयार होते हैं तो उनके लिए टाइपराइटिंग और स्टेनोग्राफी सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। श्री हिमांशु जोशी ने विचार प्रस्तुत किया कि एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने में 60 हजार रुपए खर्च आता है, । इसलिए हिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र न खोले जाएं, इससे जो धन बचेगा , उसे अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में खर्च किया जाए। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कर्मचारियों को 2 घंटे पहले छुट्टी देकर प्राइवेट संस्थानों में हिन्दी टाइप-राइटिंग और स्टेनोग्राफी सीखने के लिए 15,20 रुपए मासिक दिए जाएं और बाद में उसकी परीक्षा लेकर उत्तीर्ण कर्म-चारियों को नकद प्रोत्साहन दिया जाए। श्री गंगाशरण सिंह ने कहा कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थिति यथावत रखी जाए और दक्षिण में और अधिक केन्द्र खोले जाएं।

समिति को राजभाषा विभाग की ओर से सूचित किया गया कि वर्तमान 18 केन्द्रों के अतिरिक्त हिन्दी स्टेनोग्राफी एवं टाइपराइटिंग के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर छः और केन्द्र खोलने का विचार है जो निम्नलिखित शहरों में होंगे :—

1. कालीकट 2. भुवनेश्वर 3. श्रीनगर 4. चंडीगढ़ 5. जयपुर और 6. गौहाटी। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। इन केन्द्रों के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हुई तो अन्य स्थानों पर भी ऐसे केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी टाइपराइटिंग और स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण केन्द्रों को अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में खोलने के लिए प्राथमिकता दी जाए तथा इन केन्द्रों में सरकारी कर्मचारियों के अलावा सरकारी उपक्रमों आदि के कर्मचारियों तथा अन्य नागरिकों को भी जो उचित फीस देकर सीखना चाहें, सीखने की सुविधा दी जाए। उन्होंने यह भी विचार प्रकट किया कि हिन्दी टाइपराइटिंग और स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को कुछ सुविधायें देकर कार्यालय समय के बाद उनसे उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जाए जिन्हें ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता हो।

राजभाषा हिन्दी का स्वरूप :

श्री हिमांशु जोशी ने कहा कि सरकारी अनुवाद की भाषा दूरूह और जटिल होती जा रही है। अनुवाद का काम केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की भांति केवल वरिष्ठ अनुवादकों से ही करवाया जाना चाहिए, ताकि योग्य और अनुभवी व्यक्ति अच्छे स्तर का अनुवाद दे सकें। श्री गंगाशरण सिंह ने कहा कि प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए और जहां कहीं कठिन शब्द आयें उनको अंग्रेजी में ही लिखा जा सकता है।

राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री रमाप्रसन्न नायक ने समिति को बताया कि सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली हिन्दी भाषा के स्वरूप पर समय-समय पर विचार किया जाता रहा है। इस संबंध में सरकार की नीति यही है कि सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का इस्तेमाल किया जाए और अटपटे तथा बोझिल शब्दों से बचा जाए। राजभाषा विभाग ने कुछ समय पहले इस बारे में आदेश जारी किए थे जो सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर पोस्टर आदि के माध्यम से भी सरल हिन्दी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है।

जहां तक अनुवाद की भाषा का प्रश्न है, समिति को बताया गया कि राजभाषा विभाग के अधीन काम कर रहे केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में न केवल अनुवाद का काम किया जा रहा है, बल्कि केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों/कार्यालयों आदि में नियुक्त हिन्दी अधिकारियों अनुवादकों को अनुवाद के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है । यह प्रशिक्षण कोर्स 3 मास का है और इसमें अन्य बातों के अलावा इस बात पर बल दिया जाता है कि अनुवाद अच्छी भाषा में और जानदार हो ।

अध्यक्ष महोदय ने विचार प्रकट किया कि सरकारी कामकाज में आसान और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए और प्रादेशिक भाषाओं तथा अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को ग्रहण करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, ने आदेश दिया कि जो ज्ञापन राजभाषा विभाग ने सरल हिन्दी के इस्तेमाल के लिए जारी किया था, उसे फिर सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को भेजा जाए जिससे वे उसका पालन कर सकें ।

पत्र-पत्रिकाओं का हिन्दी में प्रकाशन :

श्री हिमांशु जोशी ने कहा कि पुलिस अनुसंधान और "विकास ब्यूरो की दो पत्रिकाएं (1) इंडियन पुलिस जर्नल और (2) पुलिस रिसर्च एण्ड डेवेल्पमेंट" केवल अंग्रेजी में ही छपती हैं । इसमें दी गई सामग्री पुलिस के निचले वर्ग के कर्मचारियों के लिए लाभदायक होते हुए भी, उन्हें इससे वंचित रखा जा रहा है । इन्हें हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन पत्रिकाओं को हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

द्विभाषिकता की स्थिति :

इस मद पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ और राजभाषा अधिनियम के उपबंधों से समिति को अवगत कराया गया । अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस सुझाव का अनुमोदन किया कि परिपत्र तथा आदेश आदि को शुरू में केवल अंग्रेजी में ही जारी करके बाद में उसका हिन्दी अनुवाद जारी करने के बजाए उसका हिन्दी रूपान्तर अंग्रेजी के साथ ही भेजा जाए ।

[सं० 11034/7/77-अ० वि० एकक]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 दिसम्बर, 1978
22 अग्रहायण 1900

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—भारत सरकार द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जाने वाली पत्र पत्रिकाओं को और अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाना ।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री रमाप्रसन्न नायक की अध्यक्षता में 5-9-77 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की सूचना सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजते हुए यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रकाशनों में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वेस्ट ब्लाक-7 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित *"देवनागरी-विकास, 'परिवर्धन और मानकीकरण" में दी गई वर्णमाला, वर्तनी (स्पेलिंग) आदि का ही प्रयोग करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने अधीन कार्य कर रहे सरकारी प्रेसों तथा फाउंडरी वालों को ऐसा निदेश दें जिससे वे मानक वर्णमाला के अनुसार नए टाइप फेसों की व्यवस्था शीघ्र करें और अपने प्रकाशनों में केवल उन्हीं का प्रयोग करें। किन्तु ऐसा लगता है कि संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों ने इस विषय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है ।

सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनःअनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय के अनुसार समुचित कार्रवाई करें और इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत कराएं ।

विष्णु स्वरूप सक्सेना, उप सचिव
भारत सरकार

*यह पुस्तक उपलब्ध न होने के कारण 'राजभाषा भारती' के छठे अंक में इसमें दिए गए नियमों को विस्तार से प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

हिन्दी कहाँ और कितनी

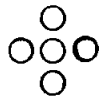

राजस्थान के महालेखाकार का कार्यालय

30-9-1978 को समाप्त हुई तिमाही में इस कार्यालय को 34122 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए । महालेखाकार ने उनमें से 16186 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए और केवल 44 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए । इतना ही नहीं इस तिमाही में महालेखाकार ने 12957 पत्र मूल रूप से हिन्दी में भेजे । इस प्रकार कुल मिलाकर महालेखाकार कार्यालय से इस तिमाही में 29000 से अधिक पत्र हिन्दी में जारी हुए । सामान्य आदेशों में से 119 द्विभाषिक रूप में जारी हुए तथा 116 केवल हिन्दी में तथा कोई भी सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी नहीं हुआ ।

जहां तक कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान का प्रश्न है, 112 राजपत्रित अधिकारियों में से 110 को और 1754 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 1746 कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है । यह स्थिति काफी संतोषजनक है ।

मध्य रेलवे, झाँसी के यांत्रिक विभाग में हिन्दी :

3-6-78 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर :

(क) (1) झांसी कारखाने में प्राप्त हिन्दी पत्रों की संख्या — 9850

(2) हिन्दी में उत्तर दिए गए पत्रों की संख्या — 9575

(3) विचाराधीन पत्रों की संख्या — 275

(ख) (1) इस अवधि के दौरान हिन्दी भाषी राज्यों तथा गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब को हिन्दी में भेजे गए पत्रों की संख्या — हिन्दी में 465, अंग्रेजी में 60

(घ) टाइपराइटरों की संख्या

(1) हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या — 11

(2) अंग्रेजी टाइपराइटरों की संख्या — 16

(3) एडेमा मशीन हिन्दी में उपलब्ध है

(10 हिन्दी टाइपराइटरों के लिए मांग पत्र भेजे जा चुके हैं ।)

क्षेत्र 'क' और 'ख' में स्थित आयकर कार्यालयों में समरी कर निर्धारण में हिन्दी के इस्तेमाल की स्थिति

(1 अक्तूबर, 1970 से 31 मार्च, 1978 तक)

क्रम सं०	आयकर आयुक्त कार्यालयों के नाम	समरी कर-निर्धारण आदेशों की कुल सं०	कितने हिन्दी में जारी किए गए	कितने अंग्रेजी में जारी किए गए
	क्षेत्र 'क'			
1.	बिहार	56,790	13,868	42,922
2.	दिल्ली	1,14,135	18,947	95,188
3.	जयपुर	53,064	42,513	10,551
4.	कानपुर	18,014	10,207	7,807
5.	लखनऊ	37,761	31,478	6,283
6.	भोपाल	77,574	14,386	34,826
7.	रोहतक	41,222	14,386	26,836
8.	मेरठ	29,424	12,123	17,301
9.	इलाहाबाद	37,827	22,217	15,610
	क्षेत्र 'ख'			
1.	अहमदाबाद	2,00,494	5,122	1,95,372
2.	पुणे	1,05,022	1,836	1,03,186
3.	पटियाला	32,500	10,013	22,487
4.	अमृतसर	33,400	5,747	27,653
5.	नागपुर	28,731	26,327	2,404
6.	जालंधर	34,563	5,186	29,377
		9,00,521	2,62,718	6,37,803

देवनागरी के टाइपराइटर

यह देखा गया कि हिन्दी के प्रयोग के विकास की गति को तेज करने के लिए उपयुक्त मात्रा में देवनागरी के टाइपराइटर नहीं मिल पा रहे हैं । यह बात औद्योगिक विकास विभाग के ध्यान में लाई गई । उनके सहयोग से अब भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों में काफी संख्या में देवनागरी के टाइपराइटर उपलब्ध हो गए हैं । पिछले 4 वर्षों में उपलब्ध कराए गए टाइपराइटरों की स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	संख्या
1975	3169
1976	6857
1977	9362
1978 (31 अक्तूबर तक)	8506

1977–78 में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

प्राप्त हिन्दी पत्रों की संख्या	उत्तर दिये गये पत्रों की संख्या		'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे गए मूल पत्रों की संख्या		'क' तथा 'ख' क्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालयों को भेजे गए मूल पत्रों की संख्या		हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों अधिकारियों की संख्या	
	हिन्दी में	अंग्रेजी में	हिन्दी में	अंग्रेजी में	हिन्दी में	अंग्रेजी में	कुल संख्या	हिन्दी में*
1,06,193	60,762	3,196	18,107	13,566	10,389	1,27,068	19,370	1,245

*काम करने वालों की संख्या

आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार :

इस संगठन का अधिकांश काम गोपनीय किस्म का है फिर भी यह कार्यालय हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए बराबर सक्रिय रहा है। इसके प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से होती रही हैं। इस कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए कई हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। 30-9-78 को समाप्त होने वाली तिमाही रिपोर्ट से पता चलता है कि इस तिमाही में इस कार्यालय में 10,274 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए। इनमें से 3,774 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए और साथ ही 3,905 पत्र मूल रूप में हिन्दी में भेजे गए। इनके अलावा 5,969 सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में और 907 केवल हिन्दी में जारी किए गए। ब्यूरो में हिन्दी की प्रगति को देखते हुए 53 हिन्दी टाइपराइटर मंगा लिए गए हैं और 23 अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है।

अप्रत्यक्ष कर प्रभाग (राजस्व विभाग) :

इस कार्यालय की 30-9-78 को समाप्त होने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 28,649 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए और कुल 85,294 मूल पत्र हिन्दी में जारी किए गए। इनके अलावा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार 3,814 सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में और 23,987 सामान्य आदेश केवल हिन्दी में जारी हुए।

हिन्दी प्रशिक्षण से संबंधित गत 3 वर्षों (1975, 1976, 1977) के समेकित आंकड़े

क्षेत्र	वर्ष	कितने प्रशिक्षार्थी दाखिल हुए	कितने प्रशिक्षार्थियों ने फार्म भरा	कितने प्रशिक्षार्थी परीक्षा में बैठे	कितने प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए
1	2	3	4	5	6
उत्तर केवल जून	जून/दिस० 75	5989	3992	2672	1821
	जून/दिस० 76	5819	3907	2887	2005
	जून/दिस० 77	3189	2073	1601	1260
	योग	14997	9972	7160	5086
दक्षिण केवल जून	जून/दिस० 75	7165	4588	3481	2175
	जून/दिस० 76	8844	7215	5222	3399
	जून/दिस 77	4757	3184	2406	1564
	योग	20766	14987	11109	7138
मध्य केवल जून	जून/दिस० 75	5820	3601	2168	1555
	जून/दिस० 76	6500	4152	2866	2019
	जून/दिस० 77	6652	4434	3032	2282
	योग	18972	12187	8066	5856

1	2	3	4	5	6
	जून/दिस० 75	7284	5054	3647	2990
पूर्व	जून/दिस० 76	6937	5254	4185	3288
केवल जून	जून/दिस० 77	4690	3356	2480	2045
	योग	18911	13664	10312	8323
	जून/दिस० 75	8987	6665	5629	3879
पश्चिम	जून/दिस० 76	9715	7913	8307	5899
	जून/दिस० 77	9464	7353	7832	5619
	योग	28166	21931	21768	15397
	कुल योग	101812	72741	58415	41800

हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण से संबंधित गत 3 वर्षों (1975, 1976, 1977) के समेकित आंकड़े

क्षेत्र	वर्ष	कितने प्रशिक्षार्थी दाखिल हुए		कितने प्रशिक्षार्थीयों ने फार्म भरा		कितने प्रशिक्षार्थी परीक्षा में बैठे		कितने प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए	
		टाइपिंग	आशु-लिपि	टाइपिंग	आशु-लिपि	टाइपिंग	आशु-लिपि	टाइपिंग	आशु-लिपि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1975	679	398	736	187	736	187	316	92
उत्तर	1976	814	514	1148	237	1148	237	545	141
	1977	1316	1046	1446	395	1413	395	715	206
	योग	2809	1958	3330	819	3297	819	1576	439
	1975	93	22	67	14	56	14	41	—
दक्षिण	1976	117	18	82	15	71	15	58	4
	1977	88	12	63	8	52	8	43	—
	योग	298	52	212	37	179	37	142	4
	1975	173	11	143	8	137	8	96	4
मध्य	1976	200	8	183	8	168	7	119	7
	1977	222	19	196	19	181	19	140	13
	योग	595	38	522	35	486	34	355	24
	1975	137	47	95	33	83	31	42	21
पूर्व	1976	202	46	179	32	165	30	108	24
	1977	154	53	116	39	102	34	72	15
	योग	493	146	390	104	350	95	222	60
	1597	468	61	382	71	425	56	203	23
पश्चिम	1976	575	112	643	102	430	69	212	20
	1977	510	76	473	85	388	63	188	25
	योग	1553	249	1498	258	1243	188	603	68
	कुल योग	5748	2443	5952	1253	5555	1173	2898	595

एच० एम० टी० लिमिटेड में हिन्दी

(1) प्रधान कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले लगभग सभी कार्यालय आदेश द्विभाषिक रूप में अर्थात (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) जारी किए जा रहे है।

(2) सभी प्रकार के पत्रों के लिए पत्र-शीर्ष द्विभाषिक रूप में छपवा लिए गए हैं।

(3) एच० एम० टी० में नियुक्ति हेतु आवेदन फार्म की द्विभाषिक छपाई करा ली गई है।

(4) कम्पनी का साइन बोर्ड तीन भाषाओं, जैसे कन्नड हिन्दी और अंग्रेजी में लिखा गया है।

(5) केन्द्रीय डाक अनुभाग में हिन्दी से संबंधित निम्न-लिखित तीन रजिस्टर रखे गए हैं जिनमें आवश्यक इंदराज किए जा रहे हैं:—

(i) आवक रजिस्टर

(ii) जावक रजिस्टर

(iii) हिन्दी में मूल रूप से भेजे जाने वाले पत्रों के लिए रजिस्टर

(6) हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जा रहा है।

(7) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को ध्यान में रखते हुए प्रधान कार्यालय में प्रत्येक मास राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में हो रही है। अन्य यूनिटों में इसकी बैठक प्रत्येक तिमाही में हो रही है।

(8) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्यवाही हिन्दी में लिखी जाती है और उसका कार्यवृत हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार कर सभी संबंधित अधिकारियों और कार्यलयों आदि को भेजा जाता है।

(9) एच० एम० टी० के उत्पादनों जैसे घड़ी, ट्रैक्टर, मशीन आदि के सम्बन्ध में कीमत सूची, पैम्फलेट निर्देश तथा विशेष विवरण हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए गए हैं।

(10) कम्पनी का मोनोग्राम हिन्दी में भी तैयार करवाने के लिए कर्मचारियों के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें 200 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने अपने-अपने डिजाइन स्कैच भेजे हैं। इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही हैं।

(11) कम्पनी की वेतन पर्ची को द्विभाषिक रूप में छपवाया जा रहा है।

(12) अवकाश, आगंतुक पास आदि फार्मों को द्विभाषिक में तैयार कर लिया गया है।

(13) आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली को भी द्विभाषिक रूप में तैयार कर लिया गया है।

(14) हिन्दी से संबंधित पत्रों पर टिप्पण और आलेखन हिन्दी में भी लिखा जा रहा है।

(15) कम्पनी की अन्य यूनिटों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को ध्यान में रखते हुए हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने वाली यूनिट को मुख्य कार्यालय की ओर से राजभाषा शील्ड प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के अधिसूचित मंत्रालय और विभाग

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) की व्यवस्था के अनुसार उन कार्यालयों के नाम जिनके 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भारत सरकार के राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाना है। अब तक केन्द्रीय सरकार के जिन मंत्रालयों विभागों को अधिसूचित किया गया है उनकी समेकित सूची नीचे दी जा रही है:—

(1) निर्माण और आवास मंत्रालय (2) नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग (3) न्याय विभाग (4) मंत्रिमंडल सचिवालय (5) संसदीय कार्य विभाग (6) पुनर्वास विभाग (7) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (8) इस्पात विभाग (9) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (10) राजभाषा विभाग (11) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) (12) पूर्ति विभाग (13) सरकारी उद्यम कार्यालय (14) (14) खाद्य विभाग (15) प्रधान मंत्री का कार्यालय (16) वाणिज्य विभाग (17) ग्राम विकास विभाग (18) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (19) वित्त मंत्रालय (रक्षा प्रभाग (20) श्रम मंत्रालय (21) भारत निर्वाचन आयोग (22) संचार मंत्रालय (23) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) (24) पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय (25) सांख्यिकी विभाग (26) वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग सहित (27) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (28) भारी उद्योग विभाग (29) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) (30) गृह मंत्रालय (31) इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) (32) समाज कल्याण विभाग (33) रसायन और उवरक विभाग (34) रक्षा मंत्रालय (35) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग।

इसी तरह 19 मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि इस नियम के अनुपालन में उन्होंने अब तक अपने 476 कार्यालयों को अधिसूचित कर दिया है।

पाठकों की सम्मतियां

भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने गत अप्रैल मास से "राजभाषा भारती" नाम से एक उद्देश्यपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है। इसके दो अंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रिका का एक तो उद्देश्य यह है कि पत्रिका के पाठकों को ज्ञात हो सके कि केन्द्रीय राजभाषा विभाग शिथिल और गतिहीन नहीं है और इसके अंतर्गत निरंतर प्रयासपूर्वक ऐसे कार्य किये जाते हैं, जिनके द्वारा राजभाषा का अहिन्दी भाषियों और अहिन्दी प्रदेशों में योजनाबद्ध रूप में प्रसार हो सके। इसके लिए विभाग ने अपना कार्यक्षेत्र शासकीय सेवाओं को ही विशेष रूप से चुना है और यह भी लक्ष्य रखा है कि मंत्रालयों और उनके अधीन विभागों में निर्विघ्न रूप से हिन्दी का प्रसार हो सके। इतने व्यापक और अखिल भारतीय कार्य को मुखर करने में पत्रिका सफल सिद्ध हो रही है।

इसके साथ-साथ पत्रिका में विद्वानों और विशेषज्ञों के ऐसे लेखों का भी प्रकाशन किया गया है, जो हिन्दी प्रसार और उसकी समृद्धि में अनेक कोणों से सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस पत्रिका के संपादन की सुयोग्यता इस बात में है कि सरकारी रीति नीति को प्रतिपादित करते हुए भी यह एक गैर सरकारी प्रयास इस कारण दिखाई देता है, क्योंकि इसमें भाषा, भाषा विज्ञान, हिन्दी की उपयोगिता तथा उसमें गत्यावरोध को दूर करने के प्रबल माध्यमों की प्रचुरता रहती है।

—दैनिक निरंजन', ग्वालियर

विवरणात्मक एवं रपट जैसी सामग्री होते हुए भी भाषा कहीं भी बोझिल नहीं होने पाई है, यह अपने में एक बड़ी उपलब्धि है, प्रायः ऐसी सामग्रियां बोझिल एवं उबाऊ हो जाती हैं, "राजभाषा भारती" इसका अपवाद है, इसके लिए मैं संपादक मंडल को साधुवाद देता हूं। आशा है भविष्य में भी यह पत्रिका राजभाषा विभाग के क्रियाकलाप का आधिकारिक विवरण सरल, सुबोध एवं प्रवाहयुक्त रोचक शैली में तो प्रस्तुत करेगी ही, राजभाषा के विविध आयामों पर भी अच्छी सामग्री प्रस्तुत करने में अपनी गौरवपूर्ण भूमिका निभाएगी।

—जयनाथ मणि त्रिपाठी,
प्रबन्ध संचालक, अंचल प्रकाशन एवं साहित्यक विचार मंच, देवरिया।

'राजभाषा भारती' के पहले दोनों अंकों को देखकर बड़ा संतोष हुआ। सरकार की राजभाषा नीति के साथ-साथ उससे संबंधित कानूनी स्थिति स्पष्ट करने में ये अंक पूर्ण सफल हैं। देश की एकता को, सामाजिक एवं राजनैतिक दोनों ही स्तरों पर कायम रखने के लिए विश्व के सांस्कृतिक नियमों की देशीय स्तर पर स्थापना के लिए, भारत की स्वतंत्रता को सभी संदर्भों में सार्थक बनाने के लिए, समग्र एवं नए भारत के भव्य निर्माण की पूर्ति के लिए तथा देश की जनता के चिन्तन की मजबूती एवं समृद्धि के लिए यह पत्रिका अवश्य सहायक रहेगी।

साहित्य के साथ-साथ वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में स्वस्थ वातावरण के अलावा कल्याणकारी पद्धतियों के विकास के लिए देश की जन भाषा जितनी सहायक होगी उतनी विदेशी भाषा नहीं। इस तथ्य को सदियों पहले संसार के विविध देशों ने अनुभव किया और इससे बहुत ज्यादा फायदा भी उठाया जिससे यह साबित हो गया है कि इसी से उसमें न्याय, स्वतंत्रता, स्वावलंबिता, समानता, बंधुता जैसी अनेक सुसंकृतियों का विकास संभव है। ऐसी स्थिति में राजनैतिक या वैयक्तिक कारणों से विकल्प में पड़े रहने तथा लोगों को गलत दिशाओं में निर्देशित करने के बजाय देश की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर सारा कारोबार उपयुक्त देशी जनभाषा में चलाना विज्ञता का सूचक है। यह विज्ञता "राजभाषा भारती" द्वारा सब को संप्राप्त हो सकेगी। इसकी मुझे पूरी आशा है परन्तु इस पत्रिका का विवरण सरकारी कार्यालयों तथा उसके अनुप्रबन्ध कार्यालयों के

साथ ही सीमित न होकर गैर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक केन्द्रों के ग्रंथालयों तथा कलाशालाओं एवं विश्व-विद्यालयों के हिन्दी विभागों तक बढ़ा दें तो यह और भी उपयोगी होगी।

—महेन्द्र विश्नोई, वरिष्ठ प्रबन्धक,
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम।

'राजभाषा भारती' का प्रकाशन राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इस पत्रिका की विभिन्न कार्यालियों के राजभाषा विभागों में बड़ी आवश्यकता थी, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा इसका प्रकाशन निःसंदेह सराहनीय है।

—रमेश चन्द सक्सेना, प्रबन्धक, हिन्दी विभाग,
भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर

'राजभाषा भारती' का अंक देखने को मिला। इसे पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि वास्तव में राजभाषा संबंधी संविधानिक व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने तथा इसके प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में यह पत्रिका बहुत ही सहायक और उपयोगी काम कर रही हैं।

—सी० मोहन, कार्यालयाध्यक्ष,
केनरा बैंक, बैंगलूर।

'राजभाषा भारती' के पहले दो अंक मिले। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग तथा विभिन्न विषयों पर उसमें लिखे गए लेख कार्यालयों के लिए अत्यन्त लाभदायक हैं। हिन्दी क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तो इस पत्रिका की उपयोगिता के बारे में कोई संदेह ही नहीं किया जा सकता।

—ओम प्रकाश वर्मा, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी,
आकाशवाणी, नई दिल्ली।

'राजभाषा भारती' का प्रवेषांक देखने को मिला। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अभी तक कोई पत्रिका नहीं थी; इसके प्रकाशन से यह कमी दूर हुई है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रसार के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों की अधिकृत जानकारी से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने की भावना जागृत होगी।

—मदन गोपाल शर्मा,
60, अनुपम नगर, ग्वालियर।

'राजभाषा भारती' पत्रिका देखने को मिली। मैं समझता हूं कि जहां तक यह पत्रिका सर्वसाधाण को भाषा संबंधी सरकारी दृष्टिकोण से अवगत कराएगी, वहीं हिन्दी संबंधी पदों पर कार्य कर रहे विभिन्न अधिकारियों के लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोगी रहेगी।

—अश्वनी कुमार शुक्ल
दी प्रोजेक्टस इक्विपमेंटस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, 15 बाराखंभा रोड,
नई दिल्ली।

'राजभाषा भारती' का प्रवेषांक मिला। रूप, सज्जा तथा विषय वस्तु की दृष्टि से प्रयास स्तुत्य है। दूसरा अंक उससे भी अच्छे रूप में प्रकाशित हुआ है। राजभाषा विषयक सूचनाएं जहां सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अपेक्षित है वहीं आवश्यक भी। इस सबंध में वर्तमान सरकार की राजभाषा नीति संबंधी लेख भ्रांतियों

[शेष पृष्ठ 48 पर]

विभागीय समाचार

श्री रमाप्रसन्न नायक सेवा निवृत्त

हिन्दी के अनन्य प्रेमी एवं कुशल प्रशासक श्री रमा प्रसन्न नायक ने 31 दिसम्बर, 1978 को भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा राजभाषा विभाग के सचिव के पद से अवकाश ग्रहण किया। श्री नायक मई, 1973 में भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए थे। तभी से उन्होंने राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक कार्य प्रारंभ किए। उन्होंने बराबर यह प्रयत्न किया कि सरकारी कामकाज की भाषा, सरल और सुबोध हो जिसे आम जनता अच्छी तरह समझ सके तथा सरकारी कर्मचारी आसानी से उसका प्रयोग कर सकें। जून, 1975 में राजभाषा विभाग का गठन होने के पश्चात् उन्हें इस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। अपने सचिव काल में श्री नायक ने राजभाषा हिन्दी का तथा राजभाषा का कार्य करने वाले कर्मचारियों को उचित पद और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए अथक प्रयत्न किए। उनके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों में बहुत से कार्य हिन्दी में किए जाने लगे।

श्री रमाप्रसन्न नायक का जन्म 20 दिसम्बर, 1920 को हुआ था। वे बाल्यकाल से ही एक मेधावी छात्र रहे। उन्होंने 1942 में बी०ए० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी और संस्कृत में विशेष योग्यता और चार स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। इसके बाद उन्होंने 1942 में अर्थशास्त्र में एम०ए० किया जिसमें उन्हें प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इण्डियन सिविल सर्विस की 1943 की परीक्षा में उन्होंने सारे भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था।

अपने कार्यकाल में श्री नायक ने मद्रास, मध्य प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार में अनेक उच्च प्रशासनिक पदों को सुशोभित किया। हिन्दी के प्रति उनके गहन अध्ययन एवं प्रगाढ़ प्रेम को देखते हुए 1973 में उन्हें भारत सरकार का हिन्दी सलाहकार नियुक्त किया गया और जब राजभाषा विभाग का गठन किया गया, तो वे जून, 1975 में राजभाषा विभाग के सचिव नियुक्त किए गए। 1976 से सेवा निवृत्त होने तक वे पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग दोनों के ही साथ-साथ सचिव रहे।

श्री नायक हिन्दी, उर्दू, तमिल और संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं और बंगला, मराठी तथा गुजराती भी जानते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्द संग्रह और 'बाल भारती' का संपादन भी किया है। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित 'मैन थ्रू दि एजेज' पत्रिका के भी वे सह संपादक रहे हैं। इन्होंने भाषा, शिक्षा तथा संस्कृति पर अनेक निबन्ध तथा रेडियो वार्ताएं लिखी हैं।

श्री नायक के कार्यकाल के समापन पर 'राजभाषा भारती' की तरफ से हार्दिक विदाई।

सरकारी काम सरल और सुबोध हिन्दी में करें

राजभाषा विभाग के नए सचिव ने कार्यभार संभाला

पहली जनवरी, 1979 से श्री कृपा नारायण (आई० ए० एस०) को भारत सरकार का हिन्दी सलाहकार तथा राजभाषा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। आप एक उच्चकोटि के प्रशासक तथा हिन्दी प्रेमी हैं। आपका जन्म 25 जून, 1923 में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। प्रारंभ से ही आप एक अत्यन्त मेधावी एवं कुशाग्र बुद्धि छात्र रहे हैं। आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बी० एस सी० और एम० एस सी० की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बी० एस सी० परीक्षा में विश्वविद्यालय में चौथा एवं एम० एस सी० की परीक्षा में (भौतिक शास्त्र ग्रुप में) प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अप्रैल, 1948 की अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा (आई० ए० एस०) में छठा स्थान लेकर सफल होने के पूर्व आपने 1945 से 1947 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनुसंधान एवं शिक्षण का कार्य भी किया था।

भारतीय प्रशासन सेवा में आने के बाद आपने देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार में अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं विशिष्ट प्रशासक हैं। अपने कार्यकाल में आपने अनेक वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा तकनीकी प्रायोजनाओं और निगमों का प्रबंध एवं संचालन भी किया है। सांख्यिकी के आप विशेषज्ञ माने जाते हैं। 1969 में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। आपने अनेक बार विदेशों की यात्राएं भी की हैं।

1969 और 1972 के मध्य आप गोवा, दमण और दीव के मुख्य सचिव रहे। 1972 और 1976 के बीच आपको उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, श्रम और आबकारी, सार्वजनिक निर्माण, यातायात तथा सम्पदा, कृषि उत्पादन तथा ग्राम विकास आदि विभागों के सचिव का काम सौंपा गया था। 1976 से 1978 तक की अवधि में विकास आयुक्त तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव रहने के बाद आपने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्य अत्यन्त कुशलतापूर्वक संचालित किया और साथ ही अन्य कई संस्थानों और निगमों आदि के चेयरमैन भी रहे।

आपकी सूक्ष्म दृष्टि, प्रशासनिक कुशलता तथा दूरदर्शिता को देखते हुए अगस्त, 1978 में आपको योजना मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया और अब उसके साथ ही साथ पहली जनवरी, 1979 से राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार का काम भी सौंपा गया है।

राजभाषा का मसला एक नाजुक मसला है। इस मसले को, राष्ट्रीय भावनात्मक एकता को देखते हुए ही निपटाया जा सकता है। राजभाषा विभाग के वर्तमान सचिव ने अपना कार्यभार ग्रहण करते ही इस दिशा में प्रयत्न प्रारंभ कर दिया है। हिन्दी को राजभाषा बनाने के संबंध में उनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यावहारिक और विचारपूर्ण है। वे सरकारी कामकाज में सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हिन्दी में अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग बढ़ाया जाए जिससे इनमें परस्पर सहयोग की वृद्धि हो। आशा है आपके कार्यकाल में भारत में भावात्मक एकता को स्थापित करने में हिन्दी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

हिन्दी एक जानदार भाषा है, वह जितनी बढ़ेगी देश को उतना ही लाभ होगा
—जवाहर लाल नेहरू

अखिल भारतीय विज्ञान गोष्ठी

इलाहाबाद में 5 और 6 अगस्त, 1978 को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा अखिल भारतीय विज्ञान गोष्ठी आयोजित की गई । इसकी अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष डा० आत्मा राम ने कहा कि हिन्दी माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई संक्रान्ति काल से गुजर रही है । हमें इस ज्वलंत समस्या का समाधान ढूंढना होगा । अन्यथा औद्योगिक क्रांति की तरह ही वैज्ञानिक क्रांति के लाभों से भी हम वंचित रह जाएंगे । हमें शब्दावली निर्माण में अधिक समय नष्ट न करके विज्ञान की पढ़ाई हिन्दी में करने पर बल देना चाहिए । इस गोष्ठी में पूरे देश के वैज्ञानिक, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं संस्थाओं के निदेशक, वैज्ञानिक पत्रकार तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक शामिल हुए थे जिनकी संख्या 200 के करीब थी । इस गोष्ठी में नीचे लिखे चार विषयों पर विचार व्यक्त किए गए (1) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति और हिन्दी में अनुसंधान पत्रों का उच्चस्तरीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन (2) पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में उनके सम्मिलित किए जाने पर विचार (3) हिन्दी माध्यम से विज्ञान शिक्षण की वर्तमान स्थिति तथा समस्याएं और (4) हिन्दी में विज्ञान लेखन और विज्ञान पत्रकारिता । गोष्ठियों की अध्यक्षता क्रमशः डा० सुधांशु कुमार जैन, निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, हावड़ा, प्रोफेसर के० एन० कौल, कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, डा० नंदलाल सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, भौतिकी कक्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा श्री विशम्बर प्रसाद गुप्त, सम्पादक, जरनल आफ इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (हिन्दी) ने की ।

गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा० बाबू राम सक्सेना ने कहा कि विज्ञान की शिक्षा अपनी भाषा में दी जानी चाहिए । थोपी गई भाषा जितनी जल्दी हटाई जा सके हटा दी जाए, यही उचित है । डा० सुधांशु कुमार जैन का विचार था कि जीवन का कोई भी स्वर विज्ञान से अछूता नहीं है। किसी भी देश में विज्ञान का स्तर दो बातों पर निर्भर करता है :—(1) खोज के स्तर पर (2) विज्ञान के प्रति जन सामान्य की जागरूकता तथा उसके प्रयोग के स्तर पर । प्रोफेसर के० एन० कौल ने कहा कि विज्ञान-शालाओं में काम अपनी भाषा में ही किया जाना चाहिए । वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिक विभाग, दिल्ली के वैज्ञानिक मलयालम भाषी डा० बी० के० नायर ने कहा कि हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यह बात तो ठीक है पर हिन्दी को अपने देश में ही विदेशी भाषा नहीं बनने देना है । गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति, डा० देवेन्द्र शर्मा ने कहा कि हमें समय के साथ चलना होगा । उनका मत था कि हिन्दी को तकनीकी क्षेत्रों में तभी प्रभावशाली बनाया जा सकेगा जब कि हिन्दी में प्रकाशित मानक ग्रंथों को पाठ्यक्रमों में लागू कर दिया जाए । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, डा० रत्नशंकर मिश्र ने कहा कि आज का छात्र हिन्दी माध्यम से पुस्तक पढ़ना चाहता है परन्तु उसे पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डा० सैय्यद मुमताज अली ने तकनीकी क्षेत्रों में हिन्दी को बढ़ावा देने में लेखकों और प्रकाशकों के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया ।

विभिन्न विचारणीय विषयों पर आए सुझावों पर गहराई से विचार करने के उपरांत समापन के अवसर पर नीचे लिखे संकल्प पारित किए गए :—

1. हिन्दी भाषी प्रदेशों में राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित मैडिकल, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के संस्थानों में प्रवेश परीक्षाएं हिन्दी माध्यम से हों ।

2. केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अखिल भारतीय संस्थानों में सम्पूर्ण प्रवेश परीक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ हिन्दी माध्यम को भी स्वीकार किया जाए और इन परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्रों को समाप्त किया जाए ।

3. हिन्दी भाषी राज्यों में स्नातक और स्नातकोतर स्तर पर विज्ञान विषयों में अध्यापन हिन्दी माध्यम से हो ।

4. हिन्दी भाषी प्रदेशों के इंजीनियरी, मैडिकल कालेजों तथा अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में विज्ञान, मानविकी और समाज शास्त्र संबंधी विषय पढ़ाने का माध्यम अविलम्ब हिन्दी हो । तकनीकी विषयों की पढ़ाई के लिए उत्तरोत्तर हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा मिले और उसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए ।

5. हिन्दी भाषी प्रदेशो द्वारा नौकरी हेतु प्रादेशिक लोक सेवा आयोग तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ एवं अन्य संस्थाएँ जो साक्षात्कार और प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित करती है, उनमें केवल हिन्दी भाषा का ही प्रयोग हो। केन्द्रीय संस्थानों, केन्द्रों द्वारा स्थापित सार्वजनिक कम्पनियों तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएँ और साक्षात्कार अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ हिन्दी माध्यम से भी हों।

6. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं अन्य संस्थानों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के सारांश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किए जाएँ। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की वार्षिक रिपोर्टें हिन्दी में भी प्रकाशित की जाएं।

7. विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरी संस्थाओं में अध्यापन परीक्षा एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए साक्षात्कार हिन्दी और अंग्रेजी किसी में भी देने की अनुमति दी जाए। यदि संभव हो तो हिन्दी भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालय केवल हिन्दी में कार्य करें।

8. देवनागरी में कम्प्यूटर बनाने की व्यवस्था की जाए।

9. इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए एक उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त अनुवर्ती समिति की स्थापना की जाए जो संबद्ध मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं से संपर्क कर इन निर्णयों को क्रियान्वित करे।

[डा० मुकुल चंद पांडेय, संयोजक, अखिल भारतीय विज्ञान गोष्ठी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर]

राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के कार्यालय से हिन्दी में वैज्ञानिक ग्रंथों का प्रकाशन :

राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के दफ्तर में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हो चुका है जिसकी बैठकें प्रति माह नियमित रुप से हो रही हैं। इस कार्यालम ने हिन्दी में कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। हाल ही में "ओषधीय पौधे" नामक 2 खंडों में एक हजार पृष्ठों की, हिन्दी पुस्तक तैयार की गई है जिसके लेखक हैं श्री वीरेन्द्र चन्द्र, सहायक निदेशक और प्रोफेसर मुकुल चंद पांडेय।

अंग्रेजी टाइपराइटरों की संख्या घटाने का निर्णय :

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक गोंडा में 5 अक्टूबर, 1978 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता लखनऊ के मंडल अधीक्षक श्री एल० एम० भास्कर ने की। सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि जनता के साथ उसकी ही भाषा में संपर्क किया जाए। चूंकि रेल विभाग सार्वजनिक जनसंपर्क वाला विभाग है इसलिए उसका सभी कामकाज राजभाषा हिन्दी में किया जाना चाहिए। मंडल राजभाषा अधिकारी श्री तेज बहादुर सिंह ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विश्वास प्रकट किया कि वह दिन दूर नहीं जब पूर्वोत्तर रेलवे का शतप्रतिशत कार्य हिन्दी में होने लगेगा।

बैठक में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि पहली किश्त के रूप में 18 अंग्रेजी टाइप मशीनें जल्दी से जल्दी हटा ली जाएँ और हिन्दी के कार्य को अधिक गतिशील बनाने के लिए जाँच स्थलों (चैक प्वाइंट्स) को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

पूर्वोत्तर रेलवे सम्पूर्ण हिन्दीकरण की ओर अग्रसर :

पूर्वोत्तर रेलवे की क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पांचवीं बैठक लखनऊ में 29 सितम्बर को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक श्री ओ० डी० अग्निहोत्री ने की। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्ण हिन्दीकरण ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि कार्यान्वयन की दशा में 'चेक प्वाइंट' काफी सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचना दी कि अब अधिकारी भी आशुलिपिकों को हिन्दी में डिक्टेशन देने लगे हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य-राजभाषा अधिकारी श्री कृष्ण-मोहन मल्ल ने हिन्दी प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि अंग्रेजी के टाइपराइटरों के हटाए जाने का सिलसिला और जोर पकड़ रहा है। हिन्दी प्रयोग की प्रगति और प्रशिक्षण के आंकड़ों की चर्चा करते हुए श्री मल्ल ने कहा कि इस दिशा में हम काफी सफल रहे हैं।

बठक में रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि के अतिरिक्त इस रेलों के अनेक विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। रेल मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों में सर्वश्री बशीर अहमद 'मयूख', प्रभात शास्त्री एवं दाऊजी गुप्त, भी इस बैठक में सम्मिलित हुए। इन गैर सरकारी सदस्यों ने पूर्वोत्तर रेलवे में हिन्दी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इस बात पर बल दिया कि सामान्य जनता के संपर्क वाले कामकाज को निश्चित रूप से हिन्दी में किया जाए।

भाषा की चेतना आवश्यक :

पूर्वोत्तर रेलवे हिन्दी समिति, लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित 'हिन्दी दिवस समारोह' की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी ने कहा कि पहले हम स्वप्न दृष्टा थे पर अब हम यथार्थवादी धरातल पर खड़े हुए हैं। इसलिए कुछ समस्याओं का पैदा होना स्वाभाविक है। इसके लिए भाषा के प्रचार की अपेक्षा भाषा की चेतना जागत करना अधिक आवश्यक है।

समारोह का आयोजन मंडल अधीक्षक कार्यालय में किया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए उपन्यासकार श्री गंगा प्रसाद मिश्र ने कहा कि हिन्दी दिवस को रस्मी तौर पर मनना ही पर्याप्त नहीं है। भाषा की सरलता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दों का संबंध है उन्हें सरल करने का प्रश्न नहीं उठता, उन्हें तो सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। हिन्दी व्यवहार संगठन के महासचिव श्री मुकुलचंद पांडेय ने राजभाषा नियम की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि सरल हिन्दी को फाइलों पर उतारा जाए।

लखनऊ विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के रीडर डा० रमाशंकर टंडन ने विश्वास व्यक्त किया कि हिन्दी अपनी स्वशक्ति एवं चमत्कार से सब पर छा जाएगी। श्री पुरुषोत्तम

कौशिक, विधान सभा सदस्य, ने आह्वान किया कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हमें उसे व्यवहार में लाना चाहिए। श्री भैया जी ने कहा कि आज के दिन हमें यह देखना चाहिए कि व्यवहार रूप में हमने कितना हिन्दी को अपनाया है और आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने सामाजिक परिवेश में भी इसकी व्यवहारिकता को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। द्विवेदी युगीन वयोवृद्ध कवि श्री बृजनंदन जी ने हिन्दी के पुराने साहित्यकारों का संस्मरण सुनाते हुए यह बताया कि हिन्दी कभी इस देश से लुप्त नहीं हुई और मुसलमान सम्राटों को भी प्रभावित करती रही।

जावर खानों में हिन्दी गोष्ठी :

अरावली कि ऐतिहासिक वादियों में स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की खान इकाई जावर माइंस में हिन्दी कोष्ठ की ओर से एक शानदार इन्द्रधनुषी काव्य संध्या का भव्य आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री जे० एन० मिश्र ने की और कंपनी के निदेशक श्री मनोहर दत्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संयोजन हिन्दी अधिकारी श्री पुरुषोत्तम छंगाणी ने किया।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित गोष्ठी के समय का चित्र

इस अवसर पर जावर माइंस में आयोजित कम्पनी के अधिकारियों की एक विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के निदेशक श्री मनोहर दत्ता ने कहा कि भारत के संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के पीछे हमारे कर्णधारों की यही दृष्टि थी कि लोकतांत्रिक सरकार का सारा कामकाज जनभाषा में ही होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में केवल 2 प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी जानते हैं, अतः इसका राजभाषा के रूप में प्रयोग करने का औचित्य किसी भी तरह सिद्ध नहीं होता।

नागरी आशुलिपि के प्रचार-प्रसार के लिए पत्रिका का प्रकाशन

बी-231, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली से हाल ही में नागरी आशुलिपि पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है। इस पत्रिका में आशुलिपि चिन्हों के लिए किया गया प्रयास सराहनीय है। पत्रिका में प्रमुख दो आशुलिपि प्रणालियों—मानक और ऋषि के चिन्ह देकर तथा अभ्यासों को 20, 25 तथा 30 शब्दों के बाद चिन्हांकित करके उसे उपयोगी तथा विभिन्न गतियों पर डिक्टेशन लेने के योग्य बनाया गया है। पत्रिका में सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के वस्तुनिष्ठ अभ्यास, संघ लोक सेवा आयोग के आदर्श आशु-

लिपि प्रश्न-पत्र आदि दिए गए हैं। राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विविध प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। किन्तु इन प्रयासों में तब तक वांछित सफलता नहीं मिल पाएगी जब तक हम हिन्दी को सभी आधुनिक साधनों से संपन्न नहीं बना देते।

डाकतार लेखा परीक्षा कार्यालय : भोपाल :

18 सितम्बर, 1978 से 25 सितम्बर, 1978 तक इस कार्यालय में हिन्दी सप्ताह के अवसर पर नीचे लिखे काम किए गए:—

(1) प्रति दिन कार्यालय में प्रयोग आने वाले अंग्रेजी के 10 हिन्दी पर्याय श्यामपट्ट पर लिखे गए।

(2) 19 सितम्बर, 1978 को भारतीय सभ्यता का महत्व विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया।

(3) 21 सितम्बर, 1978 को धर्म का महत्व, शिक्षा प्रणाली में सुधार, कृषि और इसका महत्व तथा कर्मचारी संगठनों का महत्व और उनके परिणाम विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई।

(4) 23 सितम्बर, 1978 को हास्य व्यंग्य, चुटकले एवं कविता पाठ का आयोजन किया गया।

(5) 25 सितम्बर, 1978 को हिन्दी में काम करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के संबन्ध में विचार-विमर्श हुआ और हिन्दी सप्ताह के अवसर पर अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने का प्रयत्न किया गया।

विधि साहित्य का प्रकाशन :

भारत सरकार के विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष हिन्दी में मौलिक विधि पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक वर्ष लेखकों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है। विधि के विभिन्न शाखाओं में से प्रत्येक शाखा के लिए लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तक के लेखक को 10 हजार रुपये और प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 5 हजार रुपए की राशि दी जाती है। 1977 में लिखित "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965" के लेखक श्री महावीर सिंह और "भारतीय दंड संहिता" के लेखक श्री दान सिंह चौधरी को 10–10 हजार रुपए और प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में, "विधि शास्त्र तथा विधि के सिद्धान्त" के लेखक डा० ना०बी० परांजपे को 2 हजार रुपए, "मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम" के लेखक श्री शांति कुमार जैन को 5 हजार रुपए, "साम्या न्यास एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष" के लेखक डा० धर्म चंद जैन को 3 हजार रुपए, "अपराध शास्त्र तथा अपराध प्रशासन" के लेखक डा० मुरली धर चतुर्वेदी को 2 हजार रुपए, "जमानतों का कानून" के लेखक श्री विनायक शंकर चराटे को 4 हजार रुपए, और "अपराध और अन्वेषण" के लेखक श्री घनश्याम शरण भार्गव को 2 हजार रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की गई।

ग्वालियर के महालेखाकार के कार्यालय में हिन्दी सप्ताह का समायोजन :

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिन्दी दिवस के अवसर पर दिनांक 8-9-78 से 14-9-78 तक 'हिन्दी सप्ताह' मनाया गया। दिनांक 8-9-78 को श्री मन मोहन मेहता, महालेखाकार-1 और श्री के०आर० रवीन्द्रनाथ, महालेखाकार 2 ने सरस्वती की प्रतिमा को माल्यार्पण कर हिन्दी व्यवहार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में महालेखाकार कार्यालय में हुई हिन्दी कार्य की प्रगति को पोस्टरों, ग्राफों आदि के माध्यम से दर्शाया गया था। इस अवसर पर हिन्दी निबंध प्रतियोगिता एवं हिन्दी सुन्दर लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 13-9-78 को प्रतियोगिता में विजयी प्रतियोगियों को श्री मन मोहन मेहता, महालेखाकार-1 द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिन्दी व्यवहार गोष्ठी का आयोजन :

सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड तथा पदेन निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा, राँची के कार्यालय :

सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड तथा पदेन निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा, रांची के कार्यालय में 24-10-1978 को हिन्दी गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में वाणिज्यिक लेखा निदेशक श्री अभिताभ घोष, मुख्य लेखा परीक्षक प्रशासन श्री जो०रा० राव, मुख्य लेखा परीक्षक (सेल) श्री नरसिंह पंडा तथा लेखा परीक्षा अधिकारी श्री शंकराचार्य गिरी आदि ने भाग लिया। इस अवसर पर कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी में अपना अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

1979 राजभाषाओं का वर्ष

मार्च, 1977 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ने, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, अन्य सिफारिशों के अतिरिक्त यह सिफारिश की थी कि राजभाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1978-79 को "राजभाषाओं का वर्ष" के रूप में मनाया जाए जिसमें राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय इस बात का गंभीर प्रयत्न करें कि अधिकतम सरकारी कामकाज उनकी अपनी-अपनी राजभाषाओं में हो। इस सिफारिश पर विचार करने के उपरान्त भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 1979 को "राजभाषाओं

का वर्ष" के रूप में मनाया जाए । राज्य सरकारें "राज-भाषाओं के वर्ष" के दौरान अपनी-अपनी राजभाषाओं के अधिकाधिक प्रयोग के लिए समुचित प्रबन्ध करें । भारत सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों से अनुरोध किया गया है कि इस अवधि में, अर्थात् 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 तक, समुचित योजना बना कर हिन्दी के प्रगामी प्रोग्राम पर बल दिया जाए और केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रमों में दिए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूरी कोशिश की जाए । इसके अलावा गोष्ठियों और हिन्दी - कार्यशालाओं के आयोजन, तथा पुरस्कार योजनाओं द्वारा भी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयत्न किए जाएं ।

[पृष्ठ 41 का शेष]

का निराकरण करता है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगी अन्य संस्थाओं का विवरण भी उत्तम बन पड़ा है। हिन्दी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें जैसी टिप्पणियां बराबर निकलती रहें तो अहिन्दी भाषियों के लिए यह अत्यन्त सहायक होगी। वर्तनी की एकरूपकता पर यदि लेख दिया जाए तो अच्छा होगा। इतनी उत्तम पत्रिका के प्रकाशन के लिए हमारी बधाई स्वीकार करें।

आद्य नाथ पांडेय, हिन्दी अनुदेशक,
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद ।

प्रथम बार राजभाषा हिन्दी संबंधी शंकाओं की समाधायक पत्रिका देखने में आई। विशेषकर "क्या हिन्दी राजभाषा एक वोट से हुई ?" नामक ब्रज किशोर शर्मा के लेख द्वारा एक तथ्य का उद्घाटन और हिन्दी जगत में फैली भ्रांति को दूर करने का सफल प्रयास है। ऐसी उपयोगी पत्रिका बुद्धिजीवी वर्ग के पास जितनी संख्या में पहुंचेगी हिन्दी को राजभाषा बनाने में सरकार को उतनी ही सफलता प्राप्त होगी।

—रमेश चन्द्र 'शालिहास'
सदस्य, हरियाणा प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
थाना कटली, सिरसा (हरियाणा)

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे बहुविधि कार्यों की सम्यक् जानकारी देने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा "राजभाषा भारती" का प्रकाशन अत्यन्त श्लाघनीय एवं सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित व्यक्तियों के लिए सर्वथा उपादेय है।

—सुभाष चन्द्र पालीवाल, प्रभारी अधिकारी,
यूनाइटिड कमर्शियल बैंक बैबोर्न रोड, कलकत्ता ।

हर्ष की बात है कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार में "राजभाषा भारती" एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा रही है। नव-वर्ष की शुभ कामनाएं स्वीकार करें।

आर० राय, हिन्दी अधिकारी
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड,
2 फेयरली प्लेस रोड, कलकत्ता ।

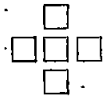

प्र० भा० स० मु० रि० रो० न० दि०—5—2 एच०ए०—20-6-79—3000

रजि० नं० 32456/78

हिन्दी राष्ट्रीय एकता की कड़ी है

□ □ □

1979 राजभाषाओं का वर्ष है

आइए

इस वर्ष हम अपना अधिक से अधिक

काम

हिन्दी में करें

राजभाषा में काम करना गौरव की बात है

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित तथा
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित